[आयोग की वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर दिनांक 01-12-2025 को प्रकाशित किया जाए]

भारत सरकार,
कर्मचारी चयन आयोग,
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,
ब्लॉक स॰ 12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

विज्ञप्ति

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (के.स.पु.ब.) और सचिवालय सुरक्षा बल (एस.एस.एफ.) में कांस्टेबल (जीडी) तथा असम राइफल्स में राइफलमैन (जीडी) परीक्षा, 2026

ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की तिथि	01.12.2025 से 31.12.2025
ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि और समय	31.12.2025 (23:00 बजे)
ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि और समय	01.01.2026 (23:00 बजे)
‘**ऑनलाइन आवेदनपत्र में संशोधन हेतु विंडो**’ और सुधार राशि के ऑनलाइन भुगतान की तिथियां	08.01.2026 से 10.01.2026 (23:00 बजे)
कंप्यूटर आधारित परीक्षा का संभावित कार्यक्रम	फरवरी-अप्रैल, 2026

‘’सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है’’

फा.सं. HQ-C-3007/10/2025-C-3: गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा तैयार की गई भर्ती योजना और गृह मंत्रालय (एमएचए) तथा कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, कर्मचारी चयन आयोग सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और सचिवालय सुरक्षा बल (एसएसएफ) में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) और असम राइफल्स (एआर) में राइफलमैन (सामान्य ड्यूटी) के पदों पर भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करेगा। भर्ती प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई),

शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी), चिकित्सा परीक्षण और दस्तावेज़ सत्यापन शामिल होंगे। भर्ती परीक्षा की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

1.1 परीक्षा की विज्ञप्ति गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई रिक्तियों के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाएगा।

1.2 आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे।

1.3 आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) अंग्रेजी, हिंदी और **13 क्षेत्रीय भाषाओं** जैसे (i) असमिया, (ii) बंगाली, (iii) गुजराती, (iv) कन्नड़, (v) कोंकणी, (vi) मलयालम, (vii) मणिपुरी, (viii) मराठी, (ix) उड़िया, (x) पंजाबी, (xi) तमिल, (xii) तेलुगु और (xiii) उर्दू में आयोजित की जाएगी।

1.4 शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी)/शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी), विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई)/समीक्षा चिकित्सा परीक्षा (आरएमई) और दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) का निर्धारण और संचालन के.स.पु.ब. द्वारा किया जाएगा।

1.5 अभ्यर्थियों से अपेक्षित पात्रता प्रमाण-पत्र/दस्तावेजों का संग्रहण तथा उनका सत्यापन, के.स.पु.ब. द्वारा विस्तृत चिकित्सा परीक्षण तथा दस्तावेज सत्यापन के समय किया जाएगा।

1.6 एसएसएफ में कांस्टेबल (जीडी) के पद अखिल भारतीय स्तर पर भरे जाएँगे, जबकि अन्य सभी के.स.पु.ब. में रिक्तियाँ विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार भरी जाएँगी। इसके अतिरिक्त, सीमावर्ती जिलों और उग्रवाद/नक्सल प्रभावित जिलों के लिए रिक्तियाँ निर्धारित की गई हैं, जो केवल इन्हीं जिलों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं।

1.7 सीमावर्ती जिलों और उग्रवाद/नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के नामों वाली सूचियां क्रमशः **अनुबंध-XI** और अनुबंध-XII में उपलब्ध हैं।

1.8 आयोग द्वारा बल आवंटन सहित अंतिम परिणाम, कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनके द्वारा चुनी गई बलों की वरीयता के आधार पर घोषित किए जाएंगे, बशर्ते कि अभ्यर्थियों ने शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण, चिकित्सा परीक्षण तथा परीक्षा की विज्ञप्ति में निर्धारित अन्य शर्तों में अर्हता प्राप्त कर लिया हो।

1.9 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के संचालन, मेरिट सूची की तैयारी, चयनित अभ्यर्थियों के बल आवंटन और अंतिम परिणाम से संबंधित अदालती मामले/आरटीआई/लोक शिकायतें एसएससी द्वारा संभाली जाएंगी और अन्य मामलों से संबंधित मुद्दे, अर्थात् परीक्षा में उठे नीति संबंधी मुद्दे, परीक्षा की योजना, रिक्तियां, पीईटी/पीएसटी, डीएमई/आरएमई का संचालन, दस्तावेज़ सत्यापन आदि को गृह मंत्रालय /समन्वय करने वाले के.स.पु.ब. द्वारा संभाला जाएगा।

1.10 परीक्षा के सभी चरणों के प्रवेश प्रमाण पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएँगे। प्रवेश प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की सुविधा आयोग/मुख्यालय की वेबसाइटों के साथ-साथ सीआरपीएफ की वेबसाइट http://www.crpf.gov.in पर भी उपलब्ध होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट https://ssc.gov.in, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और नोडल के.स.पु.ब. अर्थात् सीआरपीएफ की वेबसाइट को देखते रहें और परीक्षा के प्रत्येक चरण के प्रवेश प्रमाण पत्र डाउनलोड करें।

2. **वेतनमान:** सभी पदों के लिए वेतन स्तर-3 (21700 -69100/- रुपए)।

3. **रिक्तियां** : रिक्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

बल	पुरूष					योग	महिला					योग	महायोग
	अजा	अजजा	अपिव	आकव	अना		अजा	अजजा	अपिव	आकव	अना		
बीएसएफ	78	58	113	53	222	524	11	7	20	5	49	92	616
सीआईएसफ	1918	1391	2958	1321	5547	13135	205	152	326	150	627	1460	14595
सीआरपीएफ	870	32	1343	598	2523	5366	15	8	27	8	66	124	5490
एसएसबी	257	167	412	176	752	1764	0	0	0	0	0	0	1764
आईटीबीपी	146	139	219	109	486	1099	24	25	38	16	91	194	1293
एआर	161	302	278	157	658	1556	14	30	25	10	71	150	1706
एसएसएफ	3	2	6	2	10	23	0	0	0	0	0	0	23
योग	**3433**	**2091**	**5329**	**2416**	**10198**	**23467**	**269**	**222**	**436**	**189**	**904**	**2020**	**25487**

3.1 रिक्तियाँ अनंतिम हैं। रिक्तियों का विस्तृत विवरण (राज्यवार, बलवार, लिंगवार, श्रेणीवार आदि) आयोग की वेबसाइट (https://ssc.gov.in> For Candidates > Tentative Vacancy) पर उपलब्ध है। रिक्तियों की संख्या में किसी भी परिवर्तन की सूचना आयोग की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी।

3.2 10% रिक्तियाँ भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के लिए निर्धारित हैं। यदि उपयुक्त ईएसएम अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ईएसएम के लिए आरक्षित रिक्तियों को संबंधित श्रेणियों के गैर-ईएसएम अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा।

3.3 चूँकि के.स.पु.ब. में रिक्तियाँ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निर्धारित की गई हैं, इसलिए अभ्यर्थियों को विस्तृत चिकित्सा परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनके द्वारा दर्शाए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का अधिवास/स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता तत्काल रद्द कर दी जाएगी और उन्हें विस्तृत चिकित्सा परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य द्वारा जारी अधिवास/स्थायी निवास प्रमाण पत्र (पी.आर.सी.) प्रस्तुत करता/करती है, तो उसे दस्तावेज सत्यापन के समय राज्य बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसकी अभ्यर्थिता तुरंत रद्द कर दी जाएगी। इसलिए, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र बहुत सावधानी से भरना चाहिए।

3.4 नियुक्ति के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों को भारत में कहीं भी सेवा करनी होगी।

3.5 चयन के बाद अभ्यर्थियों की नियुक्ति विभिन्न केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (के.स.पु.ब.) की प्रशिक्षण सुविधाओं में सीटों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। अतः, अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रशिक्षण स्थान की उपलब्धता के अनुसार चरणों में की जा सकती है। कार्यभार ग्रहण और सेवाकालीन मुद्दे, वरिष्ठता, प्रशिक्षण आदि इस परीक्षा में भाग लेने वाले विभिन्न संगठनों के नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित किए जाएँगे।

3.6 आयोग परीक्षा के अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद प्रतीक्षा सूची/आरक्षित सूची तैयार या बनाए नहीं रखेगा।

4. राष्ट्रीयता / नागरिकता : अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। के.स.पु.ब. और असम राइफल्स में रिक्तियाँ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/क्षेत्र के अनुसार हैं; इसलिए अभ्यर्थी को अपने निवास स्थान वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार निवास प्रमाण पत्र/पी.आर.सी. प्रस्तुत करना होगा।

5. आयु सीमा: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14-07-1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14017/70/87-स्था.(आरआर) के प्रावधानों के अनुसार आयु गणना हेतु निर्णायक तिथि **01-01-2026** निर्धारित की गई है। तदनुसार, अभ्यर्थी की आयु **01-01-2026 को 18-23 वर्ष** होनी चाहिए (अर्थात, उम्मीदवार का जन्म 02-01-2003 **से पहले** और **01-01-2008 के बाद** न हुआ हो)।

5.1 विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट निम्नानुसार है:

कोड सं.	**श्रेणी**	**ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु/आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट**
1	अजा / अजजा	5 वर्ष
2	अपिव	3 वर्ष
3	भूतपूर्व सैनिक	गणना की तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 3 वर्ष।
4	1984 के दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चे और आश्रित (अनारक्षित/आकव)	5 वर्ष
5	1984 के दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चे और आश्रित (अपिव)	8 वर्ष
6	1984 के दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चे और आश्रित (अजा/अजजा)	10 वर्ष

5.2 आयोग द्वारा आयु को निर्धारित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई उसी जन्म तिथि को स्वीकार किया जाएगा जो उसके मैट्रिकुलेशन / माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र में दर्ज की गई है और बाद में उसमें किसी भी परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा या उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। जन्मतिथि में विसंगति होने पर ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता परीक्षा के किसी भी चरण में रद्द की जा सकती है।

5.3 भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम), जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ उठाकर सरकार के अधीन सिविल सेवा में नियमित रूप से रोजगार प्राप्त कर लिया है, वे ईएसएम श्रेणी में आरक्षण और शुल्क में रियायत के पात्र नहीं हैं। हालाँकि, वे आगामी रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं, यदि उन्होंने सिविल रोजगार में शामिल होने के तुरंत बाद, संबंधित नियोक्ता को विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदनों के तिथिवार विवरण के बारे में एक स्व-घोषणा/वचनपत्र दिया हो, जिसके लिए उन्होंने प्रारंभिक सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले आवेदन किया था, जैसा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14 अगस्त 2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/1/2014-स्था. (आरइएस) में उल्लिखित है।

5.4 सशस्त्र बलों में भूतपूर्व सैनिक की "कॉल-अप सेवा" की अवधि को भी आयु-छूट के प्रयोजनार्थ सशस्त्र बलों में की गई सेवा माना जाएगा।

5.5 भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा और पदों में पुनर्नियोजन) नियम, 1979, समय-समय पर संशोधित और सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.02.2023 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/3/2021-स्था. (आरइएस.II) में भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार प्रदान करता है: -

i) सशस्त्र बलों में कार्यरत अभ्यर्थी सिविल पदों हेतु आवेदन करने के लिए तभी पात्र होंगे जब वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विशेष भर्ती/परीक्षा आदि के संबंध में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर सशस्त्र बल सेवा की निर्धारित अवधि पूरी कर लेंगे।

ii) बशर्ते, जब चयन प्रक्रिया आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष से अधिक समय लेती है, तो अभ्यर्थी को केवल इस आधार पर भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि उसने आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के बाद सशस्त्र बलों से स्वयं को कार्यमुक्त कराया है।

iii) ऐसे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक नियमों के अनुलग्नक-V (परिशिष्ट-V(क) और V(ख)) में दिए गए निर्धारित प्रमाण पत्र और वचन-पत्र भी अपने पास रखना होगा, जैसा कि आयोग द्वारा परीक्षा के लिए जारी किए गए विज्ञप्ति में अधिसूचित किया जाएगा।

5.6 **स्पष्टीकरण**: 'भूतपूर्व सैनिक' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है:

5.6.1 जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना या वायु सेना में लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, और

क. जो या तो अपने अनुरोध पर या पेंशन प्राप्त करने के बाद नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त किये जाने पर ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त या कार्यमुक्त या सेवामुक्त हो गया हो; अथवा

ख. जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया हो और उसे चिकित्सा या अन्य नि:शक्तता पेंशन प्रदान की गई हो; अथवा

ग. जो स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है;

अथवा

5.6.2 जो नियुक्ति की विशिष्ट अवधि पूरी करने के पश्चात, अपने स्वयं के अनुरोध के अलावा, या बर्खास्तगी के माध्यम से, या कदाचार या अकुशलता के कारण सेवामुक्त कर दिया गया हो और उसे ग्रेच्युटी दी गई हो; और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं, अर्थात्, निरंतर सेवा या अर्हक सेवा के खंडित दौर के लिए पेंशन धारक;

अथवा

5.6.3 सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं और पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में वापस आए बिना सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण या उनके कारण उत्पन्न चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए हैं और जिन्हें चिकित्सा या अन्य नि:शक्तता पेंशन दी गई है;

अथवा

5.6.4 ऐसे कार्मिक, जो 14 अप्रैल 1987 से पूर्व छह माह से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहे हों;

अथवा

5.6.5 प्रादेशिक सेना के कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता;

अथवा

5.6.6 पूर्व-भर्ती कर्मचारियों को चिकित्सा आधार पर सेवामुक्त या सेवामुक्त किया गया तथा उन्हें चिकित्सा नि:शक्तता पेंशन प्रदान की गई।

5.7 संघ के सशस्त्र बलों में सेवारत व्यक्ति, जो सेवा से सेवानिवृत्त होने पर भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आएंगे और उन्हें नियुक्ति की निर्दिष्ट अवधि पूरी होने से एक वर्ष पहले पुनर्नियुक्ति के लिए आवेदन करने की अनुमति होगी और वे भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध सभी रियायतों का लाभ उठा सकेंगे, लेकिन उन्हें तब तक वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि वे संघ के सशस्त्र बलों में नियुक्ति की निर्दिष्ट अवधि पूरी नहीं कर लेते।

5.8 **भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों, पुत्रियों और आश्रितों को आयु-रियायत/आरक्षण स्वीकार्य नहीं है। इसलिए, ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए।**

5.9 5.9 संतान का अर्थ है:

5.9.1 पुत्र (दत्तक पुत्र सहित) अथवा

5.9.2 पुत्री (दत्तक पुत्री सहित)

5.10 आश्रित पारिवारिक सदस्य का अर्थ है:

5.10.1 पति/पत्नी या

5.10.2 बच्चे या

5.10.3 अविवाहित पीड़ित के मामले में, कोई भाई या बहन, जो दंगों में मारे जाने के समय उस पीड़ित पर पूरी तरह से आश्रित था, पात्र होगा। श्रेणी 4/5/6 में ऊपरी आयु सीमा में छूट के लिए, आवेदक को उस जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जहाँ पीड़ित की मृत्यु हुई थी।

6. प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाणपत्रों का प्रारुप:

6.1 जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हैं/या आयु में छूट चाहते हैं, उन्हें डीएमई के समय दस्तावेज सत्यापन के लिए संबंधित के.स.पु.ब. द्वारा मांगे जाने पर निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा, अजा / अजजा / अपिव / आकव के दर्जे के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी अभ्यर्थिता/ ऑनलाइन आवेदन पत्र को अनारक्षित (अना) श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। इसके अलावा, यदि किसी अभ्यर्थी ने आयु में कोई अन्य छूट मांगी है या ईएसएम का दर्जा मांगा है और वह संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो उसे उसकी संबंधित श्रेणी अर्थात अजा/अजजा/अपिव/आकव/अना में ही माना जाएगा। प्रमाण पत्रों के प्रारूप परीक्षा की विज्ञप्ति (**अनुबंध-VI-VIII**) के साथ संलग्न हैं।

6.2 अजा, अजजा या अपिव श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थी को अपने मूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (अर्थात अधिवास का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) में प्रवास करने पर सूचित विकल्प चुनना होगा कि क्या वह **मूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आरक्षण का लाभ प्राप्त करना चाहता है** या **प्रवास के राज्य से अनारक्षित अभ्यर्थी के रूप में** उपस्थित होना चाहता है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में इस तरह का विकल्प चुनना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के अंतिम रूप से प्रस्तुत करने/सुधार विंडो के बाद, ऐसे विकल्प को बदलने का कोई अनुरोध आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी **मूल राज्य से आरक्षण का लाभ उठाने** का **विकल्प चुनता है**, तो उसे ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपने मूल जिले और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के साथ-साथ अपने अधिवास के जिले और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रस्तुत करनी होगी और **उसकी अभ्यर्थिता मूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से मानी जाएगी।** ऐसे अभ्यर्थियों को **मूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।** हालाँकि, **ऐसे अभ्यर्थियों को मूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से/उसी के आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।**

6.3 यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में यह घोषित करता है कि वह अपने मूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (अर्थात अधिवासित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) में स्थानांतरित हो गया है और अपने मूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से आरक्षण का लाभ नहीं लेने का विकल्प चुनता है, **तो ऐसे अभ्यर्थी** को उसके अधिवासित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में **अनारक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी माना जाएगा**, **भले ही उसके पास जाति प्रमाण पत्र हो।**

6.4 यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में यह घोषित करता है कि वह अपने मूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से किसी अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (अर्थात अधिवासित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) में स्थानांतरित हो गया है और अपने मूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से आरक्षण का लाभ लेने का विकल्प चुनता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को **मूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से/उसी के आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर उसकी** अभ्यर्थिता **को प्रवासित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** (अर्थात अधिवासित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) से **अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में माना जाएगा। तथापि, यदि अभ्यर्थी अधिवासित राज्य/संघ**

राज्य क्षेत्र से अपेक्षित अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसकी अभ्यर्थिता तत्काल अस्वीकार कर दी जाएगी।

6.5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की श्रेणी या किसी अन्य लाभ जैसे शुल्क में छूट, आरक्षण, आयु में छूट आदि के दावे के लिए निर्णायक तिथि **ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।** "निर्णायक तिथि" का अर्थ है कि अभ्यर्थी उस तिथि तक संबंधित श्रेणी से संबंधित होना चाहिए; यह प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि को संदर्भित नहीं करता है।

6.6 अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास जाति/समुदाय प्रमाण पत्र है तथा वह निर्णायक तिथि पर क्रीमी लेयर में नहीं आता है।

6.7 ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.01.2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्थापना(आरईएस) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आय के आधार पर जारी वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र है।

6.8 अभ्यर्थी यह भी ध्यान रखें कि उपरोक्त के संबंध में, उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज़ की सत्यता सत्यापित होने तक अनंतिम रहेगी। अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे धोखाधड़ी से अजा/अजजा/अपिव/आकव/भूतपूर्व-सैनिक वर्ग का दर्जा प्राप्त करते हैं या कोई अन्य लाभ प्राप्त करते हैं, तो उन्हें आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से वारित कर दिया जाएगा।

6.9 अभ्यर्थियों को उनके संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में भर्ती के लिए तभी विचार किया जाएगा जब उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के समय उनकी निवास स्थिति साबित करने के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध "निवास प्रमाण पत्र/स्थायी निवास प्रमाण पत्र (पीआरसी)" प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता तत्काल रद्द कर दी जाएगी। निवास प्रमाण पत्र/पीआरसी प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्शाए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का होना चाहिए, अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता तत्काल रद्द कर दी जाएगी।

6.10 चूँकि असम राज्य निवास प्रमाण पत्र/स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहा है, इसलिए असम राज्य के अभ्यर्थियों को इसे प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। हालाँकि, उनका चयन संबंधित जिला प्राधिकरण द्वारा आवासीय स्थिति के सत्यापन के अधीन होगा।

6.11 पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी (डब्ल्यूपीआर), जो जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बस गए हैं, लेकिन जिन्हें इन केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिक का दर्जा नहीं दिया गया है, उन्हें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के नामित प्राधिकारी से निवास प्रमाण पत्र की शर्त के बिना भर्ती किया जाएगा। हालाँकि, ऐसे अभ्यर्थियों को **अनुबंध-XIII** के अनुसार डब्ल्यूपीआर के लिए एक जन्म/पहचान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

नोट: प्रवासन का अर्थ है एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (मूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) से दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (निवास राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) में स्थायी रूप से स्थानांतरण। एक ही राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण प्रवासन नहीं माना जाता है।

7. **<u>शैक्षणिक योग्यता (दिनांक 01-01-2026 को)</u>**

7.1 अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से निर्धारित तिथि अर्थात **01-01-2026** तक या उससे पहले मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

7.2 जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित तिथि (अर्थात **01-01-2026**) तक आवश्यक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं की है, वे पात्र नहीं होंगे और उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

7.3 भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10-06-2015 की अधिसूचना के अनुसार, संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थानों और संसद के अधिनियम के तहत घोषित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों द्वारा शिक्षा के मुक्त और दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से प्रदान की गई सभी डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के तहत पदों और सेवाओं में रोजगार के उद्देश्य के लिए स्वत: मान्यता प्राप्त हैं, बशर्ते कि उन्हें दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो। तदनुसार, जब तक कि ऐसी डिग्रियाँ उस प्रासंगिक अवधि के लिए मान्यता प्राप्त न हों जब अभ्यर्थियों ने योग्यता प्राप्त की थी, उन्हें शैक्षिक योग्यता के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा माध्यमों से प्राप्त ऐसी डिग्रियों/डिप्लोमा/प्रमाणपत्रों वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय को प्रासंगिक अवधि के लिए दिया गया अनुमोदन भी प्रस्तुत करना होगा।

7.4 दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाए गए सभी अभ्यर्थियों को मैट्रिकुलेशन पूरा करने के लिए प्रासंगिक प्रमाणपत्र जैसे मार्कशीट, अनंतिम प्रमाण पत्र आदि की मूल प्रति इस बात के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने **कट-ऑफ तिथि (01-01-2026)** को या उससे पहले न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हासिल कर ली है, अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी। वे अभ्यर्थी, जो दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित करने में सक्षम हैं कि अर्हक परीक्षा का परिणाम **कट-ऑफ तिथि को या उससे पहले** घोषित किया गया था और उन्हें उत्तीर्ण घोषित किया गया है, उन्हें भी शैक्षिक अर्हता पूरी करने के लिए माना जाएगा। **<u>यह दोहराया जाता है कि अपेक्षित शैक्षिक अर्हता का परिणाम बोर्ड / संस्थान / विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट तिथि तक घोषित किया जाना चाहिए। कट-ऑफ तिथि तक बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा परिणाम को तैयार किए जाने मात्र से शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता पूरी नहीं होती है।</u>**

7.5 **<u>एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों को प्रोत्साहन:</u>** 'एनसीसी प्रमाणपत्र' धारकों को निम्नलिखित पैमाने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा: -

प्रमाण पत्र श्रेणी	प्रोत्साहन/बोनस अंक
एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 5%
एनसीसी 'बी' प्रमाणपत्र	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 3%
एनसीसी 'ए' प्रमाणपत्र	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 2%

7.5.1 प्रोत्साहन/बोनस अंकों का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में 'एनसीसी प्रमाणपत्र' के लिए प्रोत्साहन/बोनस अंकों का विकल्प चुना है। यदि किसी अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन पत्र में यह नहीं दर्शाया है कि वह एनसीसी प्रमाणपत्र धारक है, तो स्थिति में बाद में परिवर्तन के अनुरोध को **स्वीकार नहीं किया जाएगा,** भले ही अभ्यर्थी के पास एनसीसी प्रमाणपत्र हो।

7.5.2 एनसीसी प्रमाणपत्र धारक को लाभ की पुष्टि केवल दस्तावेज सत्यापन के समय उनके दावों के समर्थन में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही की जाएगी।

7.5.3 हालाँकि, एनसीसी प्रमाण पत्र के सत्यापन तक, ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी के दावे के अनुसार बोनस अंक अनंतिम रूप से प्रदान किए जाएंगे।

7.5.4 **इस प्रयोजन के लिए निर्णायक तिथि 01-01-2026 होगी अर्थात एनसीसी प्रमाणपत्र 01-01-2026 को या उससे पहले जारी किया जाना चाहिए।**

7.5.5 यह लाभ **भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध नहीं है।**

7.6 अभ्यर्थी **अनुबंध-XIV** के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र के निर्दिष्ट खेल कॉलम में अपनी खेल-संबंधी जानकारी दे सकते हैं।

8. आवेदन का तरीका:

8.1 वे सभी अभ्यर्थी जो इस परीक्षा की विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में आवेदन करना चाहते हैं उन्हें आयोग की नई वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर अपना एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) करना होगा। पुरानी वेबसाइट (https://ssc.nic.in) पर किया गया एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) नई वेबसाइट के लिए कार्य नहीं करेगा। एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) करने के पश्चात, अभ्यर्थी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। एक बार नई वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) करने के बाद यह नई वेबसाइट पर आवेदन की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वैध बना रहेगा। विस्तृत निर्देश परीक्षा की विज्ञप्ति के **अनुबंध-I और अनुबंध-II** में दिए गए है।

8.2 ऑनलाइन आवेदन पत्र को कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की वेबसाईट (http://ssc.gov.in) पर केवल ऑनलाइन माध्यम से अथवा **'mySSC'** मोबाईल एप्लीकेशन (जोकि गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है) के माध्यम से ही जमा किया जाना चाहिए। विस्तृत अनुदेशों के लिए, कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** और साथ ही, आयोग वेबसाइट पर उपलब्ध मोबाइल एप से संबंधित दिनांक 02.06.2025 की सूचना का अवलोकन करें। एकबारगी पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन पत्र का नमूना प्रपत्र क्रमश: **अनुबंध- Iक और अनुबंध- IIक** के रूप में संलग्न है।

8.3 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आधार नीति के अनुसार अपनी ओटीआर प्रक्रिया पूरी करते समय आधार आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनें। आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं किए जाएंगे कि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड की गई फोटो और/या हस्ताक्षर निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं हैं। ऐसे

अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के समय परीक्षा स्थल में प्रवेश हेतु **हाल ही में खींची गई रंगीन फोटो, मूल रूप में वैध फोटो-पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।**

8.4 ऑनलाइन आवेदन पत्र को जमा करने हेतु अभ्यर्थी को अपना पहले से लिया गया फोटो रखने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन पत्र मॉड्यूल को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरते समय ही अभ्यर्थी की रियल-टाइम फोटो ली जा सके। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़े होना/ बैठना होगा तथा फोटो खींचते समय निम्नलिखित निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करना होगा:-

(i) अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें।
(ii) फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है।
(iii) अपने आप को वेबकैम के सामने रखें और सीधे सामने देखें।
(iv) यह सुनिश्चित करें कि चेहरा कैमरे द्वारा निर्धारित क्षेत्र के अंदर पूरी तरह समाहित हो और न तो यह बहुत करीब हो और न ही बहुत दूर हो। यह इस स्थान को पूरी तरह कवर करे और चेहरे का कोई भी भाग इस निर्धारित स्थान से बाहर नहीं होना चाहिए।
(v) अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए।

स्वीकृत/अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने **अनुबंध-III(4/4)** में दिए गए हैं।

8.5 परीक्षा में शामिल होने के दौरान अभ्यर्थी को वैसा ही दिखना चाहिए जैसा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में उसकी फोटो लगाई गई है। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ली गई फोटो साफ हो, टोपी या चश्मा न हो और सामने से चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ऐसे फोटोयुक्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा जिनमें फोटो निर्देशों के अनुसार नहीं ली गई है। किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को अपनी पहले ली गई फोटो नहीं लगानी चाहिए। ऐसे सभी ऑनलाइन आवेदन पत्र जिनमें उनकी पहले की फोटो लगाई गई है, उन्हें तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। **तथापि, अभ्यर्थियों के आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्रों को उपरोक्त आधार पर अस्वीकार नहीं किए जाएंगे।**

8.6 ऑनलाइन आवेदन पत्र को अंतिम रूप से जमा करने से पहले, अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी तस्वीर दिए गए निर्देशों के अनुसार ली गई है। यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्देशों के अनुसार तस्वीर नहीं ली जाती है, तो उसका ऑनलाइन आवेदन पत्र/अभ्यर्थिता अस्वीकार या रद्द कर दी जाएगी।

8.7 अभ्यर्थी को जेपीईजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में स्कैन किए गए अपने हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। अनुपयुक्त फोटो युक्त और धुंधले/लघु हस्ताक्षर वाले और निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा न करने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्रों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। तथापि, अभ्यर्थियों के आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्रों को उपरोक्त आधार पर अस्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए **अनुलग्नक-III** में दिए गए निर्देशों का संदर्भ लें।

8.8 ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि और समय 31.12.2025 (23:00 बजे तक) है।

8.9 अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें और अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कर दें क्योंकि अंतिम दिनों में नेटवर्क व्यस्त होने के कारण संपर्क में बाधा/असमर्थता हो सकती है और एसएससी की वेबसाइट पर लॉगइन करने में विफलता हो सकती है।

8.10 यदि अभ्यर्थी उक्त कारणों या किसी अन्य कारण से जो आयोग के नियंत्रण से परे है, अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा नहीं कर पाते हैं तो आयोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा ।

8.11 ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने से पहले, अभ्यर्थियों को **प्रिव्यू/प्रिंट** विकल्प के माध्यम से यह जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रत्येक भाग में सही विवरण भरा है। उन्हें यह भी जांच लेना चाहिए कि फोटोग्राफ और हस्ताक्षर उपरोक्त सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र की एक प्रति अपने पास रखें।

9. <u>आवेदन शुल्क</u> :

9.1 देय शुल्क: 100 / - रुपये (मात्र एक सौ रुपए) ।

9.2 महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) और बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थियों तथा आरक्षण के पात्र भूतपूर्व सैनिकों (भू.पू.सै.) को शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है।

9.3 **शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम नामत: भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग के माध्यम से या वीजा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपे डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है ।**

9.4 अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन मोड के जरिए ही शुल्क का भुगतान दिनांक 01.01.2026 (23:00 बजे) तक कर सकते हैं । किसी अन्य मोड से शुल्क भुगतान का कोई और विकल्प नहीं हैं ।

9.5 अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका ऑनलाइन भुगतान एसएससी को सफलतापूर्वक कर दिया गया है। यदि एसएससी को शुल्क प्राप्त नहीं होता है, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्थिति 'अपूर्ण' दिखाई जाएगी, और यह जानकारी ऑनलाइन आवेदन पत्र के शीर्ष पर मुद्रित होगी। इसके अलावा, शुल्क भुगतान की स्थिति उम्मीदवार की लॉगिन स्क्रीन पर दिए गए 'भुगतान स्थिति' लिंक पर सत्यापित की जा सकती है। ऐसे ऑनलाइन आवेदन पत्र, जो शुल्क प्राप्त न होने के कारण अधूरे रह जाते हैं, सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिए जाएँगे, और परीक्षा सूचना में निर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे ऑनलाइन आवेदन पत्रों और शुल्क भुगतान पर विचार करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

9.6 एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन में समायोजित किया जाएगा।

10. <u>ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने हेतु विंडो [08.01.2026 से 10.01.2026 (23:00 बजे)]:</u>

10.1 आयोग, ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, ऑनलाइन आवेदन पत्र संबंधी मापदंडों को ठीक / संशोधित करने के लिए अभ्यर्थियों को अतिरिक्त 03 दिनों की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन पत्र डेटा में अपेक्षित संशोधन / परिवर्तन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

10.2 किसी भी अभ्यर्थी को **'ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो'** के दौरान अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र को आशोधित / संशोधित करने और संशोधित आवेदन को फिर से जमा करने के लिए **दो बार** अनुमति दी जाएगी, अर्थात यदि उसने अपने अद्यतित आवेदन में भी गलती की है, तो उसे अपेक्षित सुधार/संशोधन करने के बाद एक बार फिर से सही ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोई और संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10.3 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके सभी प्रकार से पूरे ऑनलाइन आवेदन पत्र अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ, आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए गए हैं।

10.4 लागू सुधार शुल्क की प्राप्ति के अधीन,नवीनतम संशोधित ऑनलाइन आवेदन पत्र को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए पिछले ऑनलाइन आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।

10.5 आयोग पहली बार ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने और संशोधित/ सही ऑनलाइन आवेदन पत्र को जमा करने के लिए ₹ 200/- की एक-समान सुधार राशि और दूसरी बार संशोधन करने और संशोधित/सही ऑनलाइन आवेदन पत्र को जमा करने के लिए ₹ 500/- की एक-समान सुधार राशि लगाएगा। सुधार राशि सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगी चाहे उनका लिंग/श्रेणी कुछ भी हो ।

10.6 यदि एसएससी को लागू सुधार शुल्क प्राप्त नहीं होते हैं, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्थिति 'अपूर्ण' दिखाई जाएगी, और यह जानकारी ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के शीर्ष पर मुद्रित होगी। ऐसा ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, और पहले जमा किया गया ऑनलाइन आवेदन पत्र मान्य रहेगा।

10.7 सुधार राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीज़ा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपे डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।

10.8 एक बार भुगतान की गई सुधार राशि को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही उसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

10.9 संशोधित ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने से पहले अभ्यर्थी यह जांच कर लें कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। **' ऑनलाइन आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' की अवधि के समाप्त होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।** इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

11. परीक्षा केंद्र:

11.1 अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में उस परीक्षा केंद्र (केंद्रों) का उल्लेख करना होगा जहाँ वह कंप्यूटर आधारित परीक्षा देना चाहता/चाहती है। कर्मचारी चयन आयोग के नौ (09) क्षेत्रीय कार्यालयों और उनके क्षेत्राधिकार में स्थित परीक्षा केंद्रों (संभावित) का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	परीक्षा केन्द्र तथा केन्द्र कोड	कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय और उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रीय कार्यालयों / वेबसाइट का पता
1.	भागलपुर (3201), मुजफ्फरपुर (3205), पटना (3206), आगरा (3001), बरेली (3005), गोरखपुर (3007), झांसी (3008),कानपुर (3009), लखनऊ (3010) मेरठ (3011), प्रयागराज (3003), वाराणसी (3013), गया (3203).	**मध्य क्षेत्र (म.क्षे.)/** बिहार और उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (म.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, 34-ए, महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस, केन्द्रीय सदन, प्रयागराज, - 211 001. **(http://www.ssc-cr.org)**
2.	श्री विजयपुरम (4802), धनबाद ((4206), जमशेदपुर (4207), रांची (4205), बालासोर (4601), बेहरामपुर गंजम (4602), भुवनेश्वर (4604), कटक (4605), मालदा(4412), राऊरकेला (4610), सम्बलपुर (4609), गंगटोक (4001), आसनसोल (4417), कोलकाता/ हावड़ा (4410), सिलीगुड़ी (4415), दुर्गापुर(4426), सूरी (4416), धेंकनाल (4611).	**पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.)** / अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय निदेशक (पू.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ बिल्डिंग, (8वां तल), 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल -700020 **(www.sscer.org)**
3.	बेंगलुरु (9001), बेलगावी (9002), धारवाड़ (9004), हुबली (9011), कालाबुरागी (गुलबर्गा) (9005), मंगलुरु (9008), मैसूरु (9009), शिवमोग्गा (9010), उडुपी (9012), अलाप्पुझा (9201), एर्नाकुलम (9213), कोल्लम (9210), कोट्टायम (9205), कोझिकोड (9206), मल्लापुरम (9207), तिरुवनंतपुरम (9211), त्रिशूर (9212), कन्नूर (9202),	**कर्नाटक, केरल क्षेत्र (क.के.क्षे.)** / लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरल	क्षेत्रीय निदेशक (कर्नाटक केरल क्षेत्र), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, "ई" विंग, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला बेंगलूरू, कर्नाटक-560034 **(www.ssckkr.kar.nic.in)**
4.	भोपाल (6001), ग्वालियर (6005), इंदौर (6006), जबलपुर (6007), सतना	**मध्य प्रदेश (म.प्रे.क्षे.)** / छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (म.प्र.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग,

	(6014), सागर (6015), बिलासपुर (6202), रायपुर (6204), दुर्ग भिलाई (6205).		5वां तल, इनवेस्टमेंट बिल्डिंग, एलआईसी कैंपस-2, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़-492004 (www.sscmpr.org)
5.	ईटानगर (5001) , डिब्रूगढ़ (5102) , गुवाहाटी (दिसपुर) (5105), जोरहाट (5107), सिलचर (5111), तेजपुर (5112), इम्फाल (5501), चूड़ाचांदपुर (5502), शिलांग (5401), आइजॉल (5701), दिमापुर (5301), कोहिमा (5302), अगरतला (5601).	**पूर्वोत्तर क्षेत्र (पूर्वो क्षे.)** / अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा	क्षेत्रीय निदेशक(पूर्वो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, लास्ट गेट बशिष्ठ रोड, डाकघर असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006 (**www.sscner.org.in**
6.	दिल्ली एनसीआर (2201), अजमेर (2401), बीकानेर (2404), जयपुर (2405), जोधपुर (2406), सीकर (2411), उदयपुर (2409), देहरादून (2002) , हल्द्वानी (2003), रुड़की (2006).	**उत्तरी क्षेत्र (उ.क्षे.)** / दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड	क्षेत्रीय निदेशक(उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003 (**www.sscnr.nic.in)**
7.	चण्डीगढ़ (1601), हमीरपुर (1202), शिमला (1203), जम्मू (1004), लेह (1005), सांबा (1010), श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) (1007), अमृतसर (1404), जालंधर (1402) , पटियाला (1403)	**पश्चिमोत्तर उप क्षेत्र (पश्चिमो.क्षे.)** / चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पंजाब	क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिमो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या- 3, भूतल, केन्द्रीय सदन , सेक्टर- 9, चंडीगढ़-160009 (**www.sscnwr.org)**
8.	गुंटूर (8001), कुरनूल (8003), काकीनाडा (8009), नेल्लोर (8010), राजमुंदरी (8004), तिरुपति (8006), विजयवाड़ा (8008), विशाखापत्तनम (8007), विजयनगरम (8012), ओंगोल (8014), एलुरु (8016), पुडुचेरी (8401), चेन्नई (8201), कोयंबटूर (8202), मदुरै (8204), सेलम (8205), तिरुचिरापल्ली (8206), तिरुनेलवेली (8207), वेल्लोर (8208), कृष्णागिरी (8209) हैदराबाद/सिकंदराबाद (8601), वारंगल (8603), करीमनगर (8604), सिद्दीपेट (8605)	**दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.)**/ आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना।	क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, दूसरा तल, ईवीके संपत बिल्डिंग, डीपीआई कैंपस, कॉलेज रोड, चेन्नई, तमिलनाडु -600006 (**www.sscsr.gov.in**)
9.	पणजी (7801), अहमदाबाद (7001) गांधीनगर (7012), राजकोट	**पश्चिमी क्षेत्र (प. क्षेत्र)** /	क्षेत्रीय निदेशक (प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग,

	(7006), सूरत (7007), वडोदरा (7002), मेहसाना (7013), अमरावती (7201) , छत्रपति संभाजी नगर (7202), जलगांव (7214), कोल्हापुर (7203), मुंबई (7204) , नागपुर (7205) , नांदेड (7206) , नासिक (7202), पुणे (7208),	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	प्रथम तल, दक्षिण विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र - 400020 **(www.sscwr.net)**

11.2 अभ्यर्थी कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने होने हेतु, प्राथमिकता के क्रम में, उसी क्षेत्र के भीतर तीन केंद्रों (देश में कहीं भी) के लिए विकल्प दे सकता है। इसके पश्चात किसी भी परिस्थिति में केंद्र के परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थी, केंद्र का चयन ध्यान से करें और अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उसे ठीक से इंगित करें।

11.2.1 आयोग ने अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए स्वयं स्लॉट चुनने की सुविधा शुरू की है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा और शहर (ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रस्तुत करते समय शहरों के चयन हेतु दिए गए तीन विकल्पों में से) तथा तिथि के चयन हेतु अपना विकल्प, जब इस प्रयोजन हेतु यह 'विंडो' खोली जाए, देना होगा।

11.2.2 पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थियों ने जिन तीन शहरों के लिए विकल्प चुना था, उनके आधार पर उन्हें उन शहरों में विभिन्न तिथियों पर स्लॉट की उपलब्धता दिखाई जाएगी। अभ्यर्थी अपनी पसंद के अनुसार चुने हुए शहर में किसी भी उपलब्ध तिथि का चयन कर सकते हैं। यदि विकल्पों का प्रयोग करते समय पूर्व चयनित तीन शहरों के सभी स्लॉट पहले ही भर चुके हों, तो अभ्यर्थी को वैकल्पिक शहरों की एक सूची दी जाएगी जहां स्लॉट उपलब्ध हैं और सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर, बिना किसी विशिष्ट तिथि के विकल्प के, आयोग अभ्यर्थी के लिए उस शहर हेतु उपलब्ध स्लॉट तय करेगा। इस सुविधा का उपयोग करते समय, अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे परीक्षा तिथि और शहर चुनने के अपने विकल्प का सावधानीपूर्वक प्रयोग करें क्योंकि किसी भी बदलाव के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि आवंटन अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं चुने गए विकल्पों के आधार पर किया जा रहा है।

11.2.3 उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो पोर्टल खुलने के समय निर्धारित समयावधि में तिथि और शहर का विकल्प नहीं देंगे, ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए निर्धारित नहीं किया जाएगा और उनका प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

11.2.4 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में उपस्थित होने के लिए शहर का स्वयं चयन करने के लिए विंडो खुलने के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए नियमित अंतराल पर आयोग की वेबसाइट देखते रहें।

11.3 आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए केंद्रों में समायोजित करने का प्रयास करेगा। तथापि, आयोग उपरोक्त पैरा 11.1 में दी गई सूची के अतिरिक्त नए परीक्षा केंद्र को शामिल करने या उक्त सूची में से किसी भी परीक्षा केंद्र को रद्द करने और उस केंद्र को चुनने वाले अभ्यर्थी को किसी अन्य केंद्र से परीक्षा देने के लिए कहने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आयोग किसी केंद्र के अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए किसी अन्य केंद्र पर भेजने का भी अधिकार सुरक्षित रखता है।

11.4 कंप्यूटर आधारित परीक्षा, पीईटी/पीएसटी या विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई)/समीक्षा चिकित्सा परीक्षा (आरएमई) और दस्तावेज़ सत्यापन केंद्र, उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों के चयन का मानदंड नहीं होंगे जहाँ ये केंद्र स्थित हैं। इस उद्देश्य के लिए निवास प्रमाण पत्र/पीआरसी ही एकमात्र मानदंड होगा।

12. परीक्षा की रूपरेखा

12.1 **कंप्यूटर आधारित परीक्षा :** कंप्यूटर आधारित परीक्षा में एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा जिसमें 80 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, जिसकी संरचना निम्नलिखित होगी: -

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अनुमत अवधि/ समय
भाग- क	सामान्य बुद्धिमता और तर्क शक्ति	20	40	60 मिनट
भाग- ख	सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता	20	40	
भाग- ग	प्रारंभिक गणित	20	40	
भाग- घ	अंग्रेजी/हिंदी	20	40	

12.1.1 सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा अंग्रेजी, हिंदी और 13 क्षेत्रीय भाषाओं जैसे (i) असमिया, (ii) बंगाली, (iii) गुजराती, (iv) कन्नड़, (v) कोंकणी, (vi) मलयालम, (vii) मणिपुरी, (viii) मराठी, (ix) उड़िया, (x) पंजाबी, (xi) तमिल, (xii) तेलुगु और (xiii) उर्दू में आयोजित की जाएगी।

12.1.2 प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्नों के उत्तर देते समय इस बात का ध्यान रखें।

12.1.3 कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तिथियों की सूचना अभ्यर्थियों को केवल आयोग की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी।

12.1.4 अंकों के पुनर्मूल्यांकन/पुनः जाँच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

12.1.5 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को आयोग द्वारा दिनांक 02.06.2025 की सूचना के अनुसार प्रकाशित प्रक्रिया का उपयोग करके सामान्यीकृत किया जाएगा और एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों के लिए बोनस अंकों के साथ ऐसे सामान्यीकृत अंकों का उपयोग अंतिम योग्यता और कट-ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।

12.1.6 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बाद कंप्यूटर आधारित परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजियां आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। अभ्यर्थी उत्तर कुंजियों का अवलोकन कर सकते हैं और यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो आयोग द्वारा दिए समय सीमा के भीतर, प्रति प्रश्न ₹50/- (केवल पचास रुपए मात्र) का ऑनलाइन मोड में भुगतान करके अपना अभ्यावेदन दे सकते हैं। उत्तर कुंजियों के संबंध में किसी अन्य माध्यम अर्थात पत्र, आवेदन, ईमेल आदि से प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। उत्तर कुंजी के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन की उत्तर कुंजियों को अंतिम रूप दिए जाने से पहले संवीक्षा की जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

12.1.7 अंतिम उत्तर कुंजियों का उपयोग कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम तैयार करने के लिए किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम की घोषणा के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी, अंक सहित आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध किए जाएंगे।

12.1.8 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्रश्न मैट्रिक स्तर के होंगे।

12.1.9 आयोग की वेबसाइट पर 'अभ्यर्थी कॉर्नर' अनुभाग में कंप्यूटर आधारित परीक्षा पर एक 'मॉक टेस्ट' उपलब्ध कराया गया है।

12.1.10 अभ्यर्थियों को कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इसलिए, उन्हें इन्हें परीक्षा हॉल/लैब के अंदर नहीं लाना चाहिए।

12.1.11 परीक्षा के लिए सांकेतिक पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा:

12.1.11.1 **<u>सामान्य बुद्धिमता और तर्क शक्ति:</u>** विश्लेषणात्मक योग्यता और पैटर्न को देखने और पहचानने की क्षमता का परीक्षण मुख्यतः अशाब्दिक प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से किया जाएगा। इस घटक में सादृश्य, समानताएँ और अंतर, स्थानिक दृश्य, स्थानिक अभिविन्यास, दृश्य स्मृति, विभेदन, अवलोकन, संबंध अवधारणाएँ, अंकगणितीय तर्क और आकृतिगत वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अशाब्दिक श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग आदि पर प्रश्न शामिल हो सकते हैं।

12.1.11.2 **<u>सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता</u>**: इस घटक के प्रश्न अभ्यर्थी की अपने आस-पास के वातावरण के बारे में सामान्य जागरूकता का परीक्षण करने के उद्देश्य से होंगे। प्रश्न समसामयिक घटनाओं और दैनिक अवलोकनों व अनुभवों के ऐसे विषयों के वैज्ञानिक ज्ञान का परीक्षण करने के लिए भी तैयार किए जाएँगे, जिनकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे, विशेष रूप से खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से संबंधित। ये प्रश्न ऐसे होंगे जिनके लिए किसी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं होगी।

12.1.11.3 **<u>प्रारंभिक गणित:</u>** इस खंड में संख्या प्रणाली, पूर्ण संख्याओं, दशमलव और भिन्नों की गणना और संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणितीय संचालन, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, छूट, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और कार्य आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे।

12.1.11.4 **<u>अंग्रेजी/हिंदी</u>**: अभ्यर्थियों की बुनियादी अंग्रेजी/हिंदी समझने की क्षमता और उनकी बुनियादी समझ का परीक्षण किया जाएगा।

12.2 **<u>शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) और शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी)</u>** :

सीबीई में प्रदर्शन के आधार पर, आयोग अभ्यर्थियों को पीईटी/पीएसटी के लिए शॉर्टलिस्ट करेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) और शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) के.स.पु.ब. द्वारा निर्धारित विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। डीएमई/डीवी के समय अभ्यर्थियों की पात्रता/दस्तावेजों की विस्तृत जाँच की जाएगी। इसलिए, सीबीई/पीईटी/पीएसटी में उपस्थित होने से पहले इस विज्ञप्ति में निर्धारित अनुसार अपनी पात्रता सत्यापित करना अभ्यर्थियों की ज़िम्मेदारी होगी। पीईटी/पीएसटी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद पीईटी और पीएसटी से गुजरना होगा। पीएसटी में ऊँचाई, वजन और छाती (जैसा लागू हो) का माप शामिल होगा।

12.3 भूतपूर्व सैनिकों को पीईटी/पीएसटी से छूट दी गई है। हालाँकि, पीईटी/पीएसटी के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा में चयनित भूतपूर्व सैनिकों को रिकॉर्ड के लिए ऊँचाई, छाती और वजन की माप दर्ज करने हेतु पीईटी/पीएसटी में उपस्थित होना होगा। इन भूतपूर्व सैनिकों के लिए पीईटी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। हालाँकि, उन्हें चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

12.4 **शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी)** : अभ्यर्थियों को निम्नलिखित समय सीमा के भीतर दौड़ पूरी करनी होगी:

प्रतियोगिता	**पुरूष**	**महिला**	**अभ्युक्ति**
दौड़	24 मिनट में 5 कि.मी.	8 ½ मिनट में 1.6 किमी	लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के लिए।
	7 मिनट में 1.6 कि.मी.	5 मिनट में 800 मीटर	लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए।

12.4.1 पीईटी (शारीरिक दक्षता परीक्षा / पीएसटी (शारीरिक मानक परीक्षण)) के लिए महिला अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग पर, उनकी गर्भावस्था की स्थिति के बारे में एक स्व-घोषणा प्रस्तुत की जाएगी। यदि वह घोषित करती है कि वह गर्भवती नहीं है, तो उसे पीईटी / पीएसटी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। झूठी घोषणा के मामले में, पीईटी / पीएसटी से गुजरने के सभी जोखिम उसके अपने होंगे। यदि महिला अभ्यर्थी घोषणा करती है कि वह पीएसटी / पीईटी से पहले गर्भवती है, तो एक पुष्टिकरण गर्भावस्था परीक्षण किया जाना चाहिए और यदि वह गर्भवती पाई जाती है, तो गर्भावस्था की अवधि के बावजूद, उसे अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसकी अभ्यर्थिता को प्रसूति समाप्त होने तक रोक दिया जाएगा। आवश्यक रिक्तियों को अस्थायी अयोग्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। पंजीकृत चिकित्सक से फिटनेस के मेडिकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन, प्रसूति की तारीख के छह सप्ताह बाद पीईटी / पीएसटी के लिए उसकी फिर से जांच की जाएगी। यदि वह उपयुक्त पाई जाती है, तो उसे आरक्षित पद पर नियुक्त किया जाएगा सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित निर्देशों के अनुसार वरिष्ठता का लाभ दिया जाएगा। यदि महिला अभ्यर्थी की गर्भावस्था रिपोर्ट नकारात्मक पाई जाती है, तो उसे पीईटी/पीएसटी में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है।

12.5 **शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी)** : पदों के लिए शारीरिक मानक निम्नानुसार हैं: -

12.5.1 **ऊंचाई :**

12.5.1.1 पुरूष : 170 सेमी

12.5.1.2 महिला : 157 सेमी

12.5.1.3 कुछ श्रेणियों के अभ्यर्थियों को ऊपर उल्लिखित ऊँचाई में छूट दी गई है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए ऊँचाई के छूट मानक इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	**कुछ श्रेणियों के अभ्यर्थियों को ऊंचाई में छूट**	**पुरूष** (सेमी)	**महिला** (सेमी)
(क)	अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी।	162.5	150.0
(ख)	पूर्वोत्तर राज्यों (एनई राज्यों) के सभी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी।	157.0	147.5
(ग)	वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के सभी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी।	160.0	147.5
(घ)	गढ़वाली, कुमाऊंनी, डोगरा, मराठा वर्ग के अभ्यर्थी तथा असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के अभ्यर्थी।	165.0	155.0
(ड.)	पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के अभ्यर्थी।	162.5	152.5
(च)	गोरखा प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) से आने वाले अभ्यर्थी, जिसमें दार्जिलिंग जिले के तीन उप-प्रभाग अर्थात् दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सियांग शामिल हैं और इन जिलों के निम्नलिखित "मौजा" उप-प्रभाग शामिल हैं: - (1) लोहागढ़ चाय बागान (2) लोहागढ़ वन (3) रंगमोहन (4) बारचेंगा (5) पानीघाटा (6) छोटा अदलपुर (7) पहारू (8) सुकना वन (9) सुकना भाग-I (10) पंतपति वन-I (11) महानदी वन (12) चंपासारी वन (13) सालबारी छत भाग-II (14) सिटोंग वन (15) सिवोक हिल वन (16) सिवोक वन (17) छोटा चेंगा (18) निपनिया।	157.0	152.5

12.5.2 **छाती:** पुरुष अभ्यर्थियों की छाती की माप निम्नलिखित मानक की होनी चाहिए:

12.5.2.1 बिना विस्तार : 80 सेमी

12.5.2.2 न्यूनतम विस्तार : 5 सेमी

12.5.2.3 कुछ श्रेणियों के अभ्यर्थियों को छाती के माप में छूट दी जाती है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए छाती के माप के शिथिल मानक इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	कुछ श्रेणियों के अभ्यर्थियों को छाती में छूट	बिना विस्तार (सेमी)	न्यूनतम विस्तार (सेमी)
(क)	अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी।	76	5
(ख)	गढ़वाली, कुमाऊंनी, डोगरा, मराठा वर्ग के अभ्यर्थी तथा असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के अभ्यर्थी।	78	5
(ग)	पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और गोरखा प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) से आने वाले अभ्यर्थी।	77	5

12.5.2.4 महिला अभ्यर्थियों की छाती का माप नहीं लिया जाएगा। हालाँकि, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छाती अच्छी तरह विकसित हो।

12.5.3 **वजन:** चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊंचाई और आयु के अनुपात में।

12.5.4 ऊँचाई और छाती के माप में छूट के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता की जाँच, शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) उत्तीर्ण करने के बाद और शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) से पहले, के.स.पु.ब. के शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी)/शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) बोर्ड द्वारा की जाएगी। अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के लिए, ऊपर उल्लिखित ऊँचाई और छाती में छूट (जैसा भी मामला हो) केवल तभी अनुमन्य होगी जब वे शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी)/शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) के समय **अनुबंध-IX** में निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी वैध अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके छूट का लाभ उठा सकते हैं।

12.5.5 जिन अभ्यर्थियों को शारीरिक मानकों (अर्थात ऊँचाई और छाती) में अयोग्य घोषित किया जाता है, वे चाहें तो उसी दिन पीठासीन अधिकारी (पीओ) के माध्यम से केंद्र के लिए नामित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और उसके बाद इस संबंध में किसी भी अपील या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। पीईटी (दौड़) में कोई अपील नहीं होती है। यदि अभ्यर्थी निर्धारित पीएसटी मानक के भीतर पाए जाते हैं, तो उन्हें आगे की भर्ती प्रक्रिया के लिए पीईटी/पीएसटी बोर्ड के पास भेज दिया जाएगा।

12.5.6 पीईटी/पीएसटी और डीएमई/आरएमई का संचालन पूरी तरह से के.स.पु.ब. की ज़िम्मेदारी होगी। आयोग पीईटी/पीएसटी और डीएमई/आरएमई बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध किसी भी अभ्यावेदन/अपील/आरटीआई आवेदन/सीपीजीआरएएम पर विचार नहीं करेगा।

12.6 **चिकित्सा परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन**: पीईटी/पीएसटी उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के पुल में से अभ्यर्थियों को विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई)/दस्तावेज सत्यापन के लिए चुना जाएगा।

12.6.1 डीएमई और दस्तावेज़ सत्यापन के समय, निम्नलिखित दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाएगा:

12.6.1.1 आयु, नाम और शैक्षिक योग्यता साबित करने के लिए मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र।

12.6.1.2 सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र/स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (पीआरसी)।

12.6.1.3 वैध एनसीसी प्रमाणपत्र, यदि लागू हो।

12.6.1.4 यदि लागू हो तो विज्ञप्ति के **अनुबंध-IV** में निर्धारित प्रारूप में सेवारत रक्षा कार्मिक से प्रमाण पत्र।

12.6.1.5 भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों से **अनुबंध-V** में निर्धारित प्रारूप में वचनपत्र, यदि लागू हो।

12.6.1.6 आरक्षण/आयु में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों से विज्ञप्ति के **अनुबंध-VI**, **अनुबंध-VII** और **अनुबंध-VIII** में निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र (जैसा लागू हो)।

12.6.1.7 उन अभ्यर्थियों से प्रमाण पत्र जो विज्ञप्ति के **अनुबंध-IX** में निर्धारित ऊंचाई/छाती के माप में छूट का लाभ उठाना चाहते हैं।

12.6.1.8 परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा 5.1 के अंतर्गत श्रेणी 4/5/6 में उल्लिखित दंगा पीड़ितों के आश्रित आवेदकों के संबंध में जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाण पत्र।

12.6.1.9 विज्ञप्ति के **अनुबंध-XIII** में निर्धारित प्रारूप में पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी द्वारा जन्म/पहचान प्रमाण पत्र।

12.6.2 शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की शारीरिक और चिकित्सीय योग्यता का आकलन करने के लिए के.स.पु.ब. द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा उनकी चिकित्सकीय जाँच की जाएगी। अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा, गृह मंत्रालय के दिनांक 20.05.2015 के यूओ संख्या ए.VI-1/2014-भर्ती(एसएसबी) और गृह मंत्रालय के दिनांक 31.05.2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या: ई.32012/एडीजी(मेड)/डीएमई और आरएमई/डीए-1/2020(पार्ट फाईल)/1166 के अनुसार जारी के.स.पु.ब. और ए आर में राजपत्रित अधिकारियों और अराजपत्रित अधिकारियों के लिए भर्ती चिकित्सा परीक्षा हेतु समान दिशानिर्देशों के अनुसार और सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अनुसार आयोजित की जाएगी। ये निर्देश निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/policedevison_17062021_0.pdf।

13. परीक्षा में प्रवेश

13.1 उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधरित परीक्षा में बैठने हेतु रोल नंबर और प्रवेश-पत्र दिया जाएगा, जो इस विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके ऑनलाइन आवेदन पत्र सुव्यवस्थित पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं। तदनंतर, अर्हक अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले चरण के लिए प्रवेश पत्र (एसी) जारी किए जाएंगे।

13.2 आयोग कंप्युटर आधारित परीक्षा और पीईटी/पीएसटी के समय अन्य पहलुओं एवं अर्हता के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का विस्तृत जांच नहीं करेगा और इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकृत की जाएगी। अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक और चिकित्सकीय मानकों आदि की अनिवार्यताओं की जांच कर लें और स्वयं को संतुष्ट कर लें कि वे पद के लिए योग्य हैं । यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया गया कोई भी दावा जांच के दौरान सही नहीं पाया जाता है, तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

13.3 परीक्षा के सभी स्तरों के लिए प्रवेश पत्र केवल ऑनलाइन मोड में जारी किए जाएंगे। परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय, कर्मचारी चयन आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और सीआरपीएफ की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

13.4 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र क.च.आ./ मुख्यालय की वेबसाइटों पर ऑनलाइन जारी किए जाएंगे और पीईटी/पीएसटी और चिकित्सा परीक्षा (डीएमई / आरएमई)/दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रवेश पत्र सीआरपीएफ द्वारा उनकी वेबसाइट अर्थात http://crpf.gov.in पर जारी किए जाएंगे। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग (अर्थात https://ssc.gov.in) और सीआरपीएफ (अर्थात http://crpf.gov.in/) की वेबसाईट और को नियमित रूप से देखते रहें। **(विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञप्ति के पैरा 11.1 को देखें)** ।

13.5 परीक्षा के बारे में सूचना, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा के शहर की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग दो सप्ताह पहले क.च.आ./ मुख्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पूर्व तक क.च.आ./ मुख्यालय की वेबसाइट पर अपना विवरण प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के अपने प्रमाण के साथ क.च.आ./ मुख्यालय से संपर्क करना होगा । ऐसा न करने पर वह किसी भी दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा।

13.6 अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपनी पंजीकरण संख्या, पंजीकृत ईमेल आईडी और अपने नाम के साथ-साथ अपना मोबाइल नंबर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

13.7 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा परीक्षा से लगभग 3-7 दिन पहले क.च.आ./ मुख्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कर दी जाएगी । इसी प्रकार, पीईटी / पीएसटी और चिकित्सा परीक्षा (डीएमई / आरएमई) / दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रवेश प्रमाणपत्र डाउनलोड करने की सुविधा संबंधित परीक्षा से लगभग 2 सप्ताह पहले सीआरपीएफ की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट लाना होगा । अभ्यर्थियों को रिकार्ड/ भविष्य के संदर्भ के लिए एक अतिरिक्त प्रवेश पत्र भी रखने की सलाह दी जाती है ।

13.8 सीआरपीएफ की वेबसाइट से पीईटी / पीएसटी और डीएमई/आरएमई/डीवी के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में असमर्थता के मामले में, अभ्यर्थियों को पीईटी / पीएसटी या डीएमई / आरएमई/डीवी से कम से कम एक सप्ताह पहले सीआरपीएफ से संपर्क करना चाहिए। पीईटी / पीएसटी और चिकित्सा परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में, अभ्यर्थी सीआरपीएफ भर्ती हेल्पलाइन नंबर 011-26160255 पर संपर्क कर सकते हैं।

13.9 जिन अभ्यर्थियों का आधार आधारित प्रमाणीकरण नहीं हुआ है, वे परीक्षा आरंभ होने के समय से **दो (02) घंटे** पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करें। प्रवेश-पत्र के अलावा, अभ्यर्थी को दो पासपोर्ट आकार के नवीनतम रंगीन फोटो, प्रवेश-पत्र पर छपी जन्म-तिथि के प्रमाण के लिए फोटो लगा कम से कम एक पहचान पत्र मूलरूप में अपने साथ लाना होगा, ऐसा न करने पर उन्हें परीक्षा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा :-

13.9.1 मतदाता पहचान-पत्र,
13.9.2 ड्राइविंग लाइसेंस
13.9.3 पैन कार्ड
13.9.4 पासपोर्ट
13.9.5 नियोक्ता पहचान-पत्र (सरकारी / उपक्रम / निजी), आदि।
13.9.6 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवानिवृत्ति पंजिका

13.10 यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज (जैसे- सीबीएसई / आईसीएसई / राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक सर्टिफिकेट, अंक-पत्र; जन्म प्रमाण-पत्र, श्रेणी प्रमाण-पत्र) लाना चाहिए। यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र / प्रमाण पत्र मेल नहीं खाते हैं तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। **तथापि, उक्त अनिवार्यताएं उन अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने अपना आधार आधारित प्रमाणीकरण करवाया है।**

13.11 परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित अन्य दस्तावेज भी लाने होंगे।

13.12 **धुंधले हस्ताक्षर वाले** ऑनलाइन आवेदन पत्रों को **सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र माड्यूल को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी की लाइव फोटो खींचने के लिए डिजाइन किया गया है।** अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ली गई फोटो स्पष्ट हो, बिना टोपी और चश्मा पहने बिना हो और सामने का चेहरा पूरा दिखाई दे। निर्देशानुसार फोटोयुक्त न होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। **किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को अपने पहले से मौजूद तस्वीर की फोटो नहीं खींचनी चाहिए।** ऐसे सभी ऑनलाइन आवेदन पत्र जिसमें अभ्यर्थी की पहले से मौजूद तस्वीर की फोटो खींची गई है रद्द कर दिए जाएंगे। **तथापि, उपरोक्त कारणों से ऑनलाइन आवेदन पत्र की अस्वीकृति उन अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने आधार आधारित प्रमाणीकरण करवाया है।**

14. चयन का तरीका:

14.1 भर्ती प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा(सी.बी.ई), शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी), शारीरिक माप परीक्षण (पीएमटी), चिकित्सा परीक्षा (डीएमई /आरएमई) और दस्तावेज सत्यापन शामिल होंगे।

14.2 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक (एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों के लिए बोनस अंक जोड़े बिना) प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले चरण (अर्थात पीईटी/पीएसटी) के लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए पात्र माना जाएगा: -

14.1.1	अना	: 30%
14.1.2	अपिव/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	: 25%
14.1.3	अन्य सभी श्रेणियां	: 20%

14.3 एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों को अनंतिम रूप से निम्नलिखित प्रोत्साहन/ बोनस अंक दिए जाएंगे जो अभ्यर्थियों के सामान्यीकृत अंकों में जोड़े जाएंगे:

14.3.1 एनसीसी 'सी' सर्टिफिकेट	: परीक्षा के कुल अंकों का 5 %
14.3.2 एनसीसी 'बी' सर्टिफिकेट	: परीक्षा के कुल अंकों का 3 %
14.3.3 एनसीसी 'ए' प्रमाणपत्र	: परीक्षा के कुल अंकों का 2 %

14.4 पीईटी / पीएसटी में उपस्थित होने के लिए पुरुष और महिला अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (यदि लागू हो तो एनसीसी बोनस अंकों सहित) में उनकी योग्यता के आधार पर राज्य- वार, क्षेत्र-वार और श्रेणी-वार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में योग्यता के आधार पर पीईटी / पीएसटी के लिए चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या, भर्ती परीक्षा में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के लगभग 8 (आठ) गुना होगी। स.सु.ब. की रिक्तियों के लिए अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है।

14.5 पीईटी / पीएसटी में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को अगले चरण अर्थात विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) /दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के लिए शॉर्टलिस्ट करने हेतु अर्हक माना जाएगा।

14.6 पीईटी / पीएसटी में अर्हता प्राप्त करने वाले पुरुष और महिला अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (यदि लागू हो तो एनसीसी बोनस अंकों सहित) में उनकी योग्यता के आधार पर डीएमई / डीवी में उपस्थित होने हेतु राज्य- वार, क्षेत्र-वार और श्रेणी-वार शार्टलिस्ट किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में योग्यता के आधार पर डीएमई / डीवी के लिए चुने गए अभ्यर्थियोंकी संख्या रिक्तियों की संख्या का लगभग 2 (दो) गुना होगी। स.सु.ब. की रिक्तियों के लिए अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है।

14.7 दस्तावेज़ सत्यापन (अर्थात अभ्यर्थियों से आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र / दस्तावेजों का संग्रहण और मूल दस्तावेजों के साथ उनका सत्यापन) के.स.पु.ब (सीएपीएफ) द्वारा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के साथ किया जाएगा।

14.8 यदि अभ्यर्थी ने एनसीसी प्रमाणपत्र धारक होने का दावा किया है और वह डीवी के समय वैध एनसीसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, तो अभ्यर्थी को अनंतिम रूप से दिए गए प्रोत्साहन/ बोनस अंक वापस ले लिए जाएंगे।

14.9 अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय निम्नलिखित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों / संगठनों की वरीयता को **अग्रता के क्रम में** देना होगा। सभी सात (07) बलों की वरीयताओं को भरना अनिवार्य होगा:

14.9.1 सीमा सुरक्षा बल (ए)
14.9.2 केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (बी)
14.9.3 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी)
14.9.4 सशस्त्र सीमा बल (डी)
14.9.5 भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ई)
14.9.6 असम राइफल्स (एफ)
14.9.7 सचिवालय सुरक्षा बल (एच)

14.10 पीईटी / पीएसटी और चिकित्सा परीक्षा/ दस्तावेज सत्यापन में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को अंतिम मेरिट-सूची में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

14.11 कंप्यूटर आधारित परीक्षा (एनसीसी बोनस अंकों सहित) में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त सामान्यीकृत अंकों के आधार पर प्रत्येक श्रेणी, नामत: अना., अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व., आ.क.व. और भू.पू.सै. में अभ्यर्थियों के अंतिम चयन के साथ-साथ बल आवंटन, पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में और जहां भी लागू हो सीमावर्ती क्षेत्रों और आतंकवाद / नक्सल प्रभावित जिलों के लिए अलग-अलग किया जाएगा । स.सु.ब. (एसएसएफ) के लिए अभ्यर्थियों का चयन अखिल भारतीय आधार पर किया जाएगा।

14.12 अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों / संगठनों का आबंटन, अभ्यर्थियों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्शाई गई **'कंप्यूटर आधारित परीक्षा (एनसीसी बोनस अंकों सहित) में प्राप्तांकों-सह- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों / संगठन की वरीयता'** के आधार पर किया जाएगा, बशर्ते कि वे शारीरिक माप परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षा, चिकित्सा परीक्षा और परीक्षा की विज्ञप्ति में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करें। **अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में वरीयता के क्रम में बलों/संगठनों की वरीयताओं को देते समय अत्यधिक सावधान रहें तथा इन्हें सतर्कतापूर्वक भरें । ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रस्तुतीकरण के पश्चात, आयोग द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में वरीयता में परिवर्तन के किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

14.13 रोके गए अभ्यर्थियों के अंतिम परिणाम आगे की कार्रवाई हेतु नोडल बल (अर्थात सीआरपीएफ) को सील लिफ़ाफ़े में अथवा कूट रूप से (Encrypted), जैसा भी उचित हो, उपलब्ध कराए जाएंगे । रोके गए अभ्यर्थियों के अंतिम परिणाम नोडल बल द्वारा ही घोषित किए जाएंगे । नोडल बल से प्रस्ताव प्राप्त होने पर आयोग परीक्षा विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार "सही नहीं पाए गए" अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा।

14.14 अभ्यर्थियों के नाम पर राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा तथा उसके बाद विस्तृत चिकित्सा परीक्षा/ दस्तावेज सत्यापन के समय संगत अधिवास प्रमाणपत्र के उत्तरवर्ती प्रस्तुतीकरण और उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर सीमावर्ती जिलों, उग्रवाद /नक्सलवाद प्रभावित जिलों की रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा ।**अभ्यर्थी ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के विशिष्ट कॉलम में अभ्यर्थी द्वारा भरे गए अधिवास जिला/राज्य को ही उसका अधिवास राज्य/जिला माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए पत्राचार/ स्थायी पते के बॉक्स/ कॉलम से अधिवास जिला/राज्य पर विचार/निर्धारित नहीं किया जाएगा।**

14.15 **इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अधिवास राज्य और जिले के बारे में सूचना उपलब्ध कराते समय अत्यधिक सावधान रहें तथा यह सूचना सतर्कता पूर्वक भरें । ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रस्तुतीकरण के पश्चात आयोग द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में, अधिवास राज्य और जिले में परिवर्तन के किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा उल्लिखित जिला और / अथवा राज्य और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा / दस्तावेज सत्यापन के समय उसके द्वारा प्रस्तुत अधिवास प्रमाणपत्र में कोई भिन्नता है तो उसकी अभ्यर्थिता को तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा तथा उसे विस्तृत चिकित्सा परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

14.16 अजा, अजजा, अपिव, आकव और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के वे अभ्यर्थी जो अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के साथ मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं, उन्हें आरक्षित रिक्तियों के समक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा । ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र स्थिति के अनुसार अनारक्षित रिक्तियों में सहयोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा, अजजा, अपिव, आकव और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

14.17 अजा, अजजा, अपिव, आकव तथा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी, जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए निर्धारित मानकों की अपेक्षा मानकों अर्थात आयु सीमा, ऊंचाई तथा सीने की माप, अनुभव अथवा योग्यता, अवसरों की अनुमत्य संख्या में छूट तथा सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी को दी गई छूट की अपेक्षा अधिक छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, तो उनके योग्यता क्रम पर ध्यान दिए बिना, ऐसे अजा, अजजा, अपिव तथा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों की आरक्षित रिक्तियों में गणना की जाएगी । जहां तक भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों का संबंध है, भूतपूर्व सैनिक की आयु में से उसके द्वारा प्रदान की गई सैन्य सेवा की अवधि की कटौती आरक्षित तथा अनारक्षित पदों के लिए अनुज्ञेय है तथा आयु के संबंध में प्रदान की गई इस छूट को मानकों में छूट के रूप में परिभाषित नहीं किया जाएगा ।

14.18 नक्सल/उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को पहले नक्सल/उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों की रिक्तियों के लिए और फिर सामान्य क्षेत्रों की रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा। इसी प्रकार, सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों को पहले सीमा क्षेत्र की रिक्तियों के लिए और फिर सामान्य क्षेत्र की रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा। दोनों क्षेत्रों अर्थात नक्सल/उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के साथ-साथ सीमावर्ती क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों

को पहले नक्सल/उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र की रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा, उसके बाद क्रमशः सीमावर्ती क्षेत्र और सामान्य क्षेत्र की रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा।

14.19 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूर्णतया अनंतिम होगा, बशर्ते वे पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करते हों। यदि किसी भी समय कंप्यूटर आधारित परीक्षा, पीईटी/पीएसटी और चिकित्सा परीक्षा और साथ ही, नियुक्ति प्रस्ताव, बल / संगठन में शामिल होने से पहले अथवा बाद में जाँच करने पर यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग / के.स.पु.बलों द्वारा उनकी अभ्यर्थिता / पद के लिए चयन को निरस्त कर दिया जाएगा।

14.20 परीक्षा में सफलता से तब तक नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होता जब तक कि सरकार इस तरह की जांच के बाद संतुष्ट नहीं हो जाती है कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी तरह से उपयुक्त है।

14.21 यदि परीक्षा के किसी भी पेपर/ चरण में कट-ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी किसी भी कारण से बाद के चरण/ अंतिम चयन के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम की घोषणा के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण के आयोजन से दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में अभ्यावेदन करना होगा।

14.22 यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और उसे अंतिम परिणाम घोषित होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर आयोग या सीएपीएफ / संगठन से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तुरंत संबंधित सीएपीएफ / संगठन के साथ संपर्क करना चाहिए।

15. बराबरी(टाई) के मामलों का निपटारा: कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों (एनसीसी बोनस अंकों सहित) में बराबरी होने की स्थिति में, ऐसे मामलों का निपटारा एक के बाद एक निम्नलिखित मानदंडों को लागू करके किया जाएगा, जब तक कि बराबरी का निपटारा नहीं हो जाता :

15.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के भाग-क में प्राप्तांक।
15.2 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के भाग-ख में प्राप्तांक।
15.3 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के भाग-ग में प्राप्तांक।
15.4 जन्म तिथि, अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाती है।
15.5 अभ्यर्थियों के नाम के वर्णानुक्रम में।

16. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:

16.1 संदिग्ध और बेमेल (मेल न खाने वाले) अभ्यर्थी : जिन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि, ज़िला, निवास स्थान और माता-पिता का नाम उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र से मेल नहीं खाता, उन्हें **बेमेल अभ्यर्थियों** की श्रेणी में रखा जाएगा। जिन अभ्यर्थियों का बाएं अंगूठे का निशान (एलटीआई), हस्ताक्षर, लिखावट और फोटो, इनमें से कोई एक

भी सीबीई और ऑनलाइन आवेदन पत्र के दौरान एकत्र किए गए बायोमेट्रिक डाटा से मेल नहीं खाता या परीक्षा के किसी भी चरण में मेल नहीं खाता, उन्हें **संदिग्ध अभ्यर्थियों** की श्रेणी में रखा जाएगा।

16.2 यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान या उसके पश्चात किसी भी स्तर पर निम्नलिखित में से किसी भी कदाचार में संलिप्त पाए जाते हैं तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और आयोग की परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा :

क्रम सं.	**कदाचार का प्रकार**	**वारित अवधि**
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- रफ शीट, प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति, उत्तर-पुस्तिका आदि बाहर ले जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अन्य व्यक्ति को देना।	2 वर्ष
2	परीक्षा के दौरान बिना सूचित किए परीक्षा स्थल से बाहर जाना।	2 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	3 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना/ अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना।	3 वर्ष
5	जानबूझकर गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना, जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।	3 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना।	3 वर्ष
7	'स्विच ऑन' या 'स्विच ऑफ' मोड में मोबाईल फोन रखना।	3 वर्ष
8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना या परीक्षा देना।	3 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो।	3 वर्ष
10	परीक्षा से संबंधित अवसंरचना/उपकरणों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना।	5 वर्ष
11	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र आदि के साथ परीक्षा में बैठना या परीक्षा देना।	5 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेय शस्त्रों/हथियारों को रखना।	5 वर्ष
13	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों जैसे- पर्यवेक्षक, निरीक्षक,सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना।	7 वर्ष
14	आग्नेय शस्त्रों /हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना/धमकाना।	7 वर्ष

15	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे- कागज या शारीरिक अंगों आदि पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करना।	7 वर्ष
16	परीक्षा कक्ष में ब्लूटूथ उपकरण, स्पाइ कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना।	7 वर्ष
17	छद्मवेषन/ किसी अन्य व्यक्ति से छद्म-रूप में कार्यसाधन कराना।	7 वर्ष
18	स्नेपशॉट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री, लैब आदि का वीडियो बनाना।	7 वर्ष
19	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लैन/वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनलों को साझा करना।	7 वर्ष
20	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा-प्रणाली को हैक करने या जोड-तोड़ करने की कोशिश करना।	7 वर्ष

16.3 आयोग, यदि उचित समझे, तो इस मामले को पुलिस / जांच एजेंसियों को भी रिपोर्ट कर सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग संबंधित अधिकारियों / फोरेंसिक विशेषज्ञों, आदि द्वारा मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकता है।

17. **कर्मचारी चयन आयोग का निर्णय अंतिम:** पात्रता, ऑनलाइन आवेदन पत्रों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन की पद्धति, परीक्षा (ओं) का आयोजन, परीक्षा केंद्रों के आबंटन, कदाचार में संलिप्त होने पर वंचित किए जाने, मेरिट सूची तैयार करने संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

18. **न्यायालय का क्षेत्राधिकार:** इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी है।

19. रोजगार के अवसरों में बेरोजगार अभ्यर्थियों की पहुंच बढ़ाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.06.2016 के का.ज्ञा. 39020/1/2016-स्था(ख) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम की घोषणा के उपरांत आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंक और रैंकिंग उपलब्ध कराई जाएगी। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक संख्या-अंकों के अतिरिक्त, अंतिम परीक्षा में अभ्यर्थी की रैंकिंग, अभ्यर्थी का नाम, अभिभावक/ पति का नाम, शैक्षिक योग्यता, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग (पुरुष/महिला), अर्हक परीक्षा में कुल प्राप्तांक, ईमेल के पते के साथ पूरा पता अंतिम परिणाम की घोषणा के पश्चात आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध किए जाएंगे। तदनुसार, अभ्यर्थियों के पास अपना आवेदन भरते समय अपनी सूचना को सार्वजनिक न करने का विकल्प होगा।

20. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश:

1.	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। कोई भी विवाद होने पर, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
2.	अभ्यर्थियों को उनके हित के लिए सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख से काफी पहले जमा कर दें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट की विसंबंधन / लॉगइन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें।
3.	वे सभी अभ्यर्थी, जो इस परीक्षा की विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में आवेदन करना चाहते हैं और जिन्होंने आयोग की नई वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) नहीं किया है, उन्हें पहले की तरह ही एकबारगी पंजीकरण करना होगा क्योंकि पुरानी वेबसाइट (https://ssc.nic.in) पर पहले किया गया एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) नई वेबसाइट पर काम नहीं करेगा। ओटीआर के बाद, अभ्यर्थी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। नई वेबसाइट पर एक बार ओटीआर तैयार होने के बाद, यह नई वेबसाइट पर आवेदन की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वैध बना रहेगा। ओटीआर के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश इस विज्ञप्ति के **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।
4.	वर्तमान परीक्षा के लिए आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू किया गया है। तदनुसार, परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय, एक बारगी पंजीकरण करने पर सभी अभ्यर्थियों के पास स्वयं को प्रमाणित करने के लिए आधार नंबर का उपयोग करने का विकल्प होगा। वे अभ्यर्थी जो आधार आधारित प्रणाली द्वारा स्वयं को प्रमाणित नहीं करना चाहते हैं, उन्हें अपने एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) को पूरा करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे : (i) नाम संबंधी प्रमाण नामतः मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र, सरकारी सेवा पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज (ii) जन्म तिथि संबंधी प्रमाण नामतः जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, (iii) पते संबंधी प्रमाण नामतः मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आवेदक की सत्यापित फ़ोटो के साथ बैंक विवरण, किराया करार, आयकर निर्धारण आदेश। (iv) फोटो। (v) लिंग संबंधी प्रमाण नामतः मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र।।
5.	अभ्यर्थियों से दस्तावेजों का संग्रहण और उनका सत्यापन के.स.पु.बल द्वारा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के समय किया जाएगा। अतः, अभ्यर्थिता को केवल अनंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले सलाह दी जाती है कि वे शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक मानकों इत्यादि की आवश्यकताओं को पूरा करें और स्वयं संतुष्ट हो जाएं कि वे पदों के लिए पात्र हैं। जब विस्तृत चिकित्सा

	परीक्षा के दौरान दस्तावेजों की संवीक्षा की जाएगी, तब आवेदन में किए गए किसी भी दावे को प्रमाणित नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।
6.	इस विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग /आर्थिक कमजोर वर्ग/ भूपूसै के रूप में आरक्षण का लाभ उठाने या इस परीक्षा की विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार कोई अन्य छूट के इच्छुक अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार इस तरह के आरक्षण / छूट के पात्र हैं। प्रमाणपत्र की प्रतियां मांगे जाने पर उनके पास निर्धारित प्रारूप में संबंधित प्रमाणपत्र होने चाहिए।
7.	अजा, अजजा अथवा अपिव श्रेणी की जाति से संबंधित अभ्यर्थी जो एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवासन करते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को एक विकल्प सूचित करना होगा कि क्या वे मूल राज्य के आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं या नहीं या प्रवासी राज्य से अनारक्षित अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में बैठना चाहते हैं। इस तरह के विकल्प को अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में देना होगा। सुधार विंडो / ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद, इस तरह के विकल्प बदलने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामले में, जहां कोई अभ्यर्थी मूल राज्य से आरक्षण का लाभ लेने का विकल्प चुनता है, तो उसे आवेदन पत्र में वर्तमान निवास के जिला और राज्य के साथ साथ मूल जिला और राज्य की जानकारी देनी होगी। ऐसे मामलों में उनकी अभ्यर्थिता को उनके मूल राज्य से संबंधित श्रेणी में माना जाएगा बशर्ते कि वे अपने मूल राज्य से वैध निर्धारित जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।
8.	दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) इस परीक्षा के लिए आवेदन के पात्र नहीं हैं।
9.	देय शुल्कः 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र)। महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा) तथा आरक्षण के पात्र भूतपूर्व सैनिक (भूपूसै) श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट प्राप्त है।
10.	अभ्यर्थियों को मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में उल्लेख के अनुसार ही अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम और माता का नाम लिखना चाहिए; अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा आयोग के संज्ञान में आने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
11.	निर्देशानुसार न होने वाले , अनुपयुक्त फोटो अथवा धुंधले/लघु हस्ताक्षर वाले ऑनलाइन आवेदन पत्रों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। तथापि, आधार आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किए जाएंगे।
12.	आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास अपनी पहले से मौजूद फोटो रखने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन पत्र माड्यूल को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी की फोटो खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ली गई फोटो स्पष्ट हो, बिना टोपी और चश्मा पहने बिना हो और सामने का चेहरा पूरा दिखाई दे। यदि खींची गई फोटो निर्देशानुसार नहीं है, तो अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे फोटो पुन: खींच लें। किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को अपने पहले से मौजूद तस्वीर की फोटो नहीं खींचनी चाहिए। ऐसे सभी ऑनलाइन आवेदन पत्र, जिसमें पहले से मौजूद तस्वीर की फोटो खींची गई है, रद्द कर दिए जाएंगे। परीक्षा में अभ्यर्थी को वैसा ही दिखना चाहिए जैसा ऑनलाइन आवेदनपत्र में उसका फोटो लगा है।

	स्वीकृत/अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने **अनुबंध-III (4/4) में दिए गए हैं। अपनी फोटो खींचने के लिए, अभ्यर्थी को एप्लिकेशन मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़ा होना/बैठना होगा और निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा:** (i) अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें। (ii) फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है। (iii) अपने आप को सीधे कैमरे के सामने रखें और सीधे सामने देखें। (iv) सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा कैमरे द्वारा चित्रित क्षेत्र के अंदर पूरी तरह से है और यह न तो बहुत करीब है और न ही बहुत दूर है। इसे क्षेत्र को पूरी तरह से कवर करना चाहिए और चेहरे का कोई भी हिस्सा कैमरे द्वारा चित्रित क्षेत्र के बाहर नहीं होना चाहिए। (v) अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए। (vi) अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप (10 से 20केबी) में स्कैन किए गए हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। **धुंधले/ लघु हस्ताक्षर वाले ऑनलाइन आवेदन पत्रों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।** **तथापि, आधार आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किए जाएंगे।**
13.	**अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में अधिवास राज्य और जिला के बारे में जानकारी प्रदान करते समय बहुत सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद आयोग द्वारा किसी भी परिस्थिति में राज्य और जिला के परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि दस्तावेज़ सत्यापन के समय अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अधिवास प्रमाणपत्र और ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनके द्वारा उल्लिखित जिला और/अथवा राज्य में कोई भिन्नता पाई जाती है तो, उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा और उन्हें विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**
14.	**अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्राथमिकता के क्रम में के. स.पु.बलों/ संगठनों की वरीयता देते समय बहुत अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात वरीयता में किसी भी परिवर्तन के अनुरोध पर आयोग द्वारा किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।**
15.	परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने की सामान्य अवधि के दौरान अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अनुमति दी गई है जिसमें 'ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार हेतु विंडो' की अवधि को शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अधिक सावधानी बरतें। यदि किसी अभ्यर्थी के एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र अलग-अलग पंजीकरण संख्या के साथ पाए जाते हैं तो ऐसे सभी आवेदन पत्रों को आयोग द्वारा रद्द कर दिया जाएगा तथा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। यदि एक अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करता है तथा परीक्षा में एक से अधिक बार

	बैठता (किसी भी स्तर पर) है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की परीक्षाओं से नियमानुसार वारित कर दिया जाएगा।
16.	ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, आयोग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन मानकों को सही / संशोधित करने के लिए 03 दिन की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ऑनलाइन आवेदन डेटा में अपेक्षित सुधार / संशोधन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 10 में दिए गए विवरण के अनुसार, निर्धारित सुधार राशि के ऑनलाइन भुगतान द्वारा इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। नवीनतम संशोधित ऑनलाइन आवेदन पत्र को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा हेतु जमा किए गए पिछले ऑनलाइन आवेदन पत्र (पत्रों) को रद्द कर दिया जाएगा।
17.	संशोधित / अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने से पहले, जैसा भी मामला हो, अभ्यर्थियों को यह जांच लेना चाहिए कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रत्येक क्षेत्र में सही विवरण भरा है। संशोधित / अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात **अथवा** 'आवेदनपत्र सुधार के लिए विंडो' की अवधि समाप्त होने के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।
18.	अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपना सही तथा सक्रिय ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर देना चाहिए क्योंकि आयोग/ संबंधित प्रयोक्ता विभाग द्वारा एसएमएस/ईमेल के माध्यम से पत्राचार किया जा सकता है। बाद के चरण में, मोबाइल और ई मेल आई डी बदलने से संबंधित अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यद्यपि, अभ्यर्थियों को सूचना भेजने के प्रयास आयोग द्वारा किए जाते हैं, तथापि आयोग एसएमएस / ई मेल / डाक आदि के माध्यम से भर्ती की विभिन्न प्रक्रियाओं / चरणों / तारीखों के बारे में अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से सूचित करने के लिए बाध्य नहीं है। आयोग की वेबसाईट अभ्यर्थियों के लिए जानकारी का प्राथमिक स्रोत है, और कोई भी अभ्यर्थी इस आधार पर छूट प्राप्त नहीं कर सकता कि उसे किसी भी प्रक्रिया के बारे में एसएमएस/ईमेल इत्यादि के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सूचना नहीं दी गई। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के बारे में अद्यतित रहने के लिए नियमित रूप से आयोग / संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट देखते रहें।
19.	जिन अभ्यर्थियों का आधार आधारित प्रमाणीकरण नहीं हुआ है, वे परीक्षा आरंभ होने के समय से **दो (02) घंटे** पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करें। प्रवेश-पत्र के अलावा, अभ्यर्थी को दो पासपोर्ट आकार के नवीनतम रंगीन फोटो, प्रवेश-पत्र पर छपी जन्म-तिथि के प्रमाण के लिए फोटो लगा कम से कम एक पहचान पत्र मूलरूप में अपने साथ लाना होगा, ऐसा न करने पर उन्हें परीक्षा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा :- (i) ड्राइविंग लाइसेंस (ii) पैन कार्ड (iii) पासपोर्ट (iv) विद्यालय / कॉलेज / विश्वविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र (v) नियोक्ता पहचान-पत्र (सरकारी / उपक्रम / निजी) (vi) रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवानिवृत्ति पंजिका

	यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि अंकित नहीं है तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल प्रमाणपत्र/ दस्तावेज़ (अर्थात सीबीएसई/ आईसीएसई/ राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रीकुलेशन प्रमाण-पत्र, मार्क्सशीट; जन्म प्रमाणपत्र, श्रेणी प्रमाणपत्र आदि) अवश्य लाना चाहिए। यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र और जन्म-तिथि के प्रमाण के रूप में लाए गए फोटो पहचान-पत्र / प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म- तिथि मेल नहीं खाती है तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।
20.	किसी प्रतिष्ठित नाम / फोटो के दुरूपयोग से नकली/जाली आवेदन / पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी / साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर / आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी ।
21.	जब ऑनलाइन आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा हो जाता है, तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्थिति 'आवेदन प्राप्त हुआ (सामग्री सत्यापित नहीं)' के रूप में इंगित की जाएगी।। अभ्यर्थियों को अपने रिकार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आऊट लेना चाहिए। सामान्यतः आयोग / के.स.पु.ब. को किसी भी स्तर पर ' ऑनलाइन आवेदन पत्र’ का प्रिंट आऊट भेजने की जरूरत नहीं है।
22.	अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि वे लड़ाकू बल के लिए आवेदन कर रहे हैं और भर्ती प्रक्रिया में उन्हें पूर्ण शारीरिक और मानसिक तैयारी के साथ भाग लेना चाहिए और वे, भर्ती के किसी भी चरण के दौरान होनी वाली किसी भी घटना / दुर्घटना के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होंगे। भर्ती एजेंसी / केन्द्र ऐसी किसी अनपेक्षित घटना / दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। अभ्यर्थी इस भर्ती में अपने जोखिम पर ही भाग लेंगे।
23.	शारीरिक दक्षता परीक्षा / शारीरिक मानक परीक्षण तथा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा / पुनर्विचार चिकित्सा परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र केन्द्रीय रिजर्ब पुलिस बल द्वारा उनकी वेबसाइट https://crpf.gov.in/ पर जारी / अपलोड किया जाएगा, जबकि कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेशपत्र कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय) की संबंधित वेबसाईट पर जारी / अपलोड किया जाएगा । परीक्षा के किसी भी स्तर पर प्रवेशपत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा । अतः, प्रवेशपत्र को सही समय पर डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को नियमित आधार पर के.रि.पु.बल की (https://crpf.gov.in/), क.च.आ. (मुख्यालय) की वेबसाईट (https://ssc.gov.in/) तथा क.च.आ. के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाईट को देखने की सलाह दी जाती है ।
24.	अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा / शारीरिक मानक परीक्षण तथा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा / पुनर्विचार चिकित्सा परीक्षा एवं दस्तावेज़ सत्यापन के प्रवेशपत्र से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए विशेष चयन बोर्ड (प्रकोष्ठ) भर्ती शाखा, ईस्ट ब्लॉक सं.-7, लेवल -4, सेक्टर-01, आर के पुरम, नई दिल्ली- 110066 अथवा उनकी हेल्पलाईन संख्या 011-26160255 से संपर्क कर सकते हैं।
25.	प्रत्येक शारीरिक मानक परीक्षण केंद्र में शारीरिक मानक परीक्षण के लिए अपीलीय प्राधिकारी उपलब्ध होगा। यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक मानक परीक्षण बोर्ड के निर्णय से संतुष्ट या सहमत नहीं होता है तो वह उसी दिन संबंधित भर्ती केंद्र में केवल पीठासीन अधिकारी के माध्यम से अपीलीय प्राधिकारी से अपील कर सकता है। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इसके बाद इस संबंध में आगे

	किसी अपील या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) के लिए कोई अपील स्वीकार्य नहीं होगी।
26.	यदि कोई भी अभ्यर्थी जानबूझ कर सिर की चोट (सूजन / फूलना) का बहाना करता है तथा ऊंचाई में विशेषाधिकार पाने के लिए सिर पर इमली रखता है तो भर्ती की आगे की प्रक्रिया के लिए इस तरह के अभ्यर्थियों को वारित कर दिया जाएगा।
27.	शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को यदि ऊर्जावान दवा के प्रभाव में पाया जाता है तो उसे भर्ती की आगे की प्रक्रिया के लिए वारित कर दिया जाएगा।
28.	ऑनलाइन आवेदन पत्र के अंत में घोषणा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। घोषणा पर सहमत होने / हस्ताक्षर करने से पहले, अभ्यर्थियों को भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र विवरण और घोषणा की सामग्री के माध्यम से जाना चाहिए और स्वयं को संतुष्ट करने के बाद ही इस पर सहमत होना / हस्ताक्षर करना चाहिए कि प्रस्तुत जानकारी सही है। किसी भी तथ्य को छिपाने / गलत बयानी करने / गलत घोषणा करने से अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
29.	अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे परीक्षा की तारीख, रिक्तियों की स्थिति आदि से संबंधित सूचना के बारे में अद्यतन जानकारी हेतु नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट अर्थात https://ssc.gov.in और साथ ही क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट और सीआरपीएफ की वेबसाईट http;//www.crpf.gov.in का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।
30.	परीक्षाओं के दौरान लोगों द्वारा प्रतिरूपित अभ्यर्थी बनने की कोशिश करने के उदाहरण देखे गए हैं। चूंकि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के दौरान फोटोग्राफ ली जाती है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में लगी फोटो और परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी की उपस्थिति में उसकी पहचान में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। परीक्षा स्थल के कर्मचारियों को किसी भी संदिग्ध अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देने के लिए अधिकृत किया गया है। इसलिए, अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा के दिन उनकी उपस्थिति ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटो के अनुसार हो। किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को अपने पहले से मौजूद तस्वीर की फोटो नहीं खींचनी चाहिए। ऐसे सभी ऑनलाइन आवेदन पत्र जिनमें उसकी पहले से मौजूद फोटो खींची गई है, खारिज कर दिए जाएंगे। तथापि, आधार-आधारित प्रमाणीकरण के विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र इस आधार पर रद्द नहीं किए जाएंगे।
31.	ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर : 180 030 930 63
32.	परीक्षा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आयोग परीक्षा से पूर्व विस्तृत विश्लेषण करता है। इसमें लॉग विश्लेषण, फोटो और बायोमेट्रिक सत्यापन, और सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा के माध्यम से विस्तृत जांच शामिल है। परीक्षा के किसी भी चरण के दौरान किसी भी प्रकार के कदाचार या अनुचित साधनों में संलिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों पर आयोग की नीति के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उनकी अभ्यर्थिता रद्द करना और भविष्य की परीक्षाओं से उन्हें वारित करना भी शामिल है।

33.	यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी पेपर/स्तर में कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदनंतर स्तर / अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण से दो सप्ताह पहले जो भी पहले हो, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में अभ्यावेदन जमा करना चाहिए।
34.	यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोई पत्राचार प्राप्त नहीं होता है, तो अभ्यर्थी को तत्काल आबंटित संबंधित के.स.पु.ब. से संपर्क करना चाहिए।

अवर सचिव, भारत सरकार
01.12.2025

<u>अनुबंध-I</u>

(ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया के निम्नलिखित दो भाग हैं:

(क) एक बारगी पंजीकरण

(ख) परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

भाग-क (एक बारगी पंजीकरण)

1. कृपया ऑनलाइन 'एक-बारगी पंजीकरण प्रपत्र' और 'ऑनलाइन आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

2. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आधार नीति के अनुसार अपनी ओटीआर प्रक्रिया पूरी करते समय आधार आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनें। आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं किए जाएंगे कि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड की गई फोटो और/या हस्ताक्षर निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के समय परीक्षा स्थल में प्रवेश हेतु हाल ही में खींची गई रंगीन फोटो, मूल रूप में वैध फोटो-पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

3. वर्तमान परीक्षा के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण लागू किया गया है । परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय, एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) करने पर सभी अभ्यर्थियों के पास स्वयं को प्रमाणित करने के लिए आधार नंबर का उपयोग करने का विकल्प होगा। वे अभ्यर्थी जो आधार पर आधारित प्रणाली द्वारा स्वयं को प्रमाणित नहीं करना चाहते हैं, उन्हें अपने एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) को पूरा करने के लिए निर्धारित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

4. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं / दस्तावेज तैयार रखें:

   क. मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।

   ख. ईमेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।

   ग. आधार कार्ड संख्या। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद के चरण में मूल दस्तावेज़ को उपलब्ध कराना होगा):

      i. वोटर आईडी कार्ड

      ii. पैन

      iii. पासपोर्ट

      iv. ड्राइविंग लाइसेंस

      v. स्कूल/कॉलेज आई डी

      vi. नियोक्ता आईडी (सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट)

   घ. परीक्षा बोर्ड, रोल नंबर और मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने के वर्ष के बारे में जानकारी।

   ङ. यदि आप एक दिव्यांग व्यक्ति हैं तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या।

5. एक बारगी पंजीकरण के लिए, आयोग की नई वेबसाइट अर्थात http://ssc.gov.in पर दिए गए खंड **'Login or Register'** में दिए गए लिंक **‘Register Now’** पर क्लिक करें।

6. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:

   क. व्यक्तिगत विवरण
   ख. पासवर्ड बनाना
   ग. अतिरिक्त विवरण
   घ. घोषणा।

7. **‘एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र’ भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें :**

   क. सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात, आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण पत्र के संगत कॉलमो में दो बार की जानी अपेक्षित है। यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा फील्ड (कॉलम) मेल नहीं खाते हैं तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।

   ख. क्रम संख्या-1: आधार संख्या के बारे मे जानकारी प्रदान करें। यदि आपके पास आधार संख्या नहीं है तो आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे:-

   (i) नाम संबंधी प्रमाण नामतः मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र, सरकारी सेवा पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज

   (ii) जन्म तिथि संबंधी प्रमाण नामतः जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाणपत्र,

   (iii) पते संबंधी प्रमाण नामतः मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आवेदक की सत्यापित फ़ोटो के साथ बैंक विवरण, किराया करार, आयकर निर्धारण आदेश।

   (iv) फोटो।

   (v) लिंग संबंधी प्रमाण नामतः मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र।

   ग. क्रम संख्या- 2: अपना नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसा मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

   घ. क्रम संख्या- 3: यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख क्रम संख्या 3क और 3ख में करें।

   ङ. क्रम संख्या- 4: अपना लिंग बताएं (पुरूष/महिला)।

   च. क्रम संख्या- 5: अपनी जन्मतिथि **ठीक वैसी ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी गई है।

   छ. क्रम संख्या- 6: अपने पिता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

ज. क्रम संख्या- 7: अपनी माता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

झ. क्रम संख्या-8 से क्रम संख्या-10: मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में निम्नलिखित शामिल है:

i. शिक्षा बोर्ड का नाम
ii. रोल नंबर
iii. उत्तीर्ण होने का वर्ष

ञ. क्रम संख्या- 11: अपनी शैक्षणिक योग्यता के स्तर के बारे में सूचना दें।

ट. क्रम संख्या- 12: आपका मोबाइल नंबर। यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो कर्मचारी चयन आयोग/दिल्ली पुलिस संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।

ठ. क्रम संख्या- 13: आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि कर्मचारी चयन आयोग/दिल्ली पुलिस जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा,केवल इसी ईमेलआईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड / पजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।

ड. जब क्रम संख्या 1 से 13 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर, आपका डाटा सहेज जाएगा और पंजीकरण संख्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। आपकी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।

ढ. आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।

ण. अपनी पंजीकृत संख्या को यूजर नाम और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें।

<u>पासवर्ड बनाना</u>

त. पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।

थ. पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, बदले गए पासवर्ड का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।

द. सफलतापूर्वक लॉगइन करने पर, आपके द्वारा अभी तक की 'मूलभूत विवरण' के बारे में भरी गई जानकारी प्रदर्शित होगी। यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन करें अथवा नीचे दिए गए 'Next' बटन को क्लिक करके अपना एकबारगी पंजीकरण पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।

अतिरिक्त विवरण

ध. क्रम संख्या- 1: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।

प. क्रम संख्या- 2: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें।

फ. क्रम संख्या- 3: यदि आप भारतीय नागरिक के अलावा कोई अन्य हैं तो कृपया संपर्क विवरण प्रदान करें।

ब. क्रम संख्या- 4: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें । आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।

भ. क्रम संख्या- 5: कृपया यदि कोई दिव्यांगता हो तो उसकी जानकारी दें। यदि आप किसी बैंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित है, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हो, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें।

म. क्रम संख्या- 6 से 7: अपना स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डाटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें। **यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी अभ्यर्थी का स्थायी और वर्तमान पता उसके अधिवास के राज्य को सुनिश्चित नहीं करता है ।**

य. प्रदान की गई जानकारी को सहेजें। ड्राफ्ट का प्रिंट लें और 'Final Submit' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।

र. 'Final Submit' पर क्लिक करने पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर दो अलग-अलग ओटीपी भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूरा करने के लिए आपको इन दो ओटीपी में से एक ओटीपी डालना होगा।

ल. 'Declaration' को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यदि आप घोषणा से सहमत हैं तो ‘I Agree’ पर क्लिक करें।

व. मूलभूत सूचनाएं प्रस्तुत करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया 14 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।

8. आप अपने एक बारगी पंजीकरण के डाटा को संपादित/ संशोधित नहीं कर सकते; आपको एक बारगी पंजीकरण में जानकारी भरते समय अधिक सतर्क रहना चाहिए । गलत/त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण आपकी अभ्यर्थिता रद्द हो सकती है ।

9. **आपको पुन: सावधान किया जाता है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन (10वीं कक्षा) प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।**

अनुबंध-1क (1/8)

एक बारगी पंजीकरण पत्र के स्क्रीनशॉर्ट्स

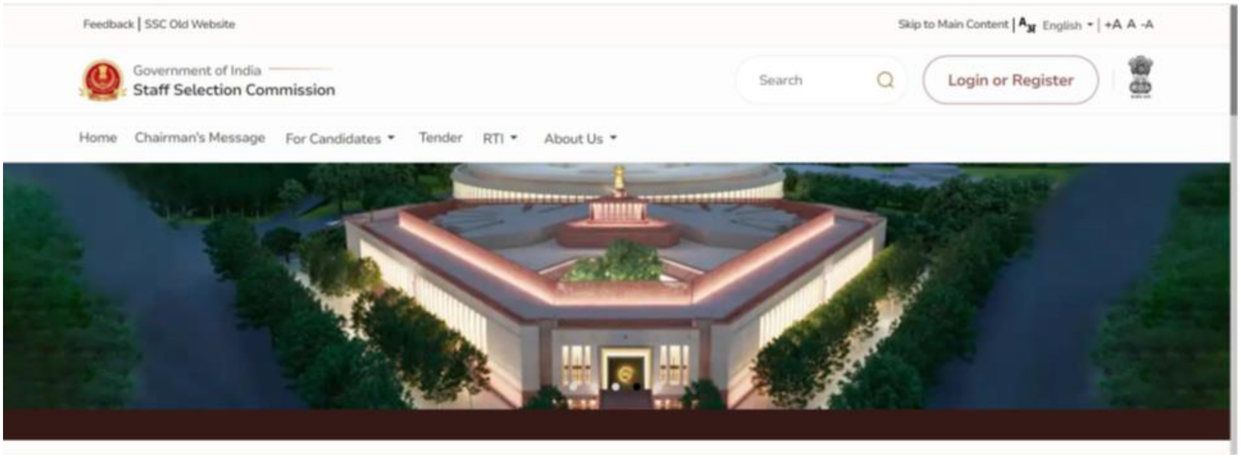

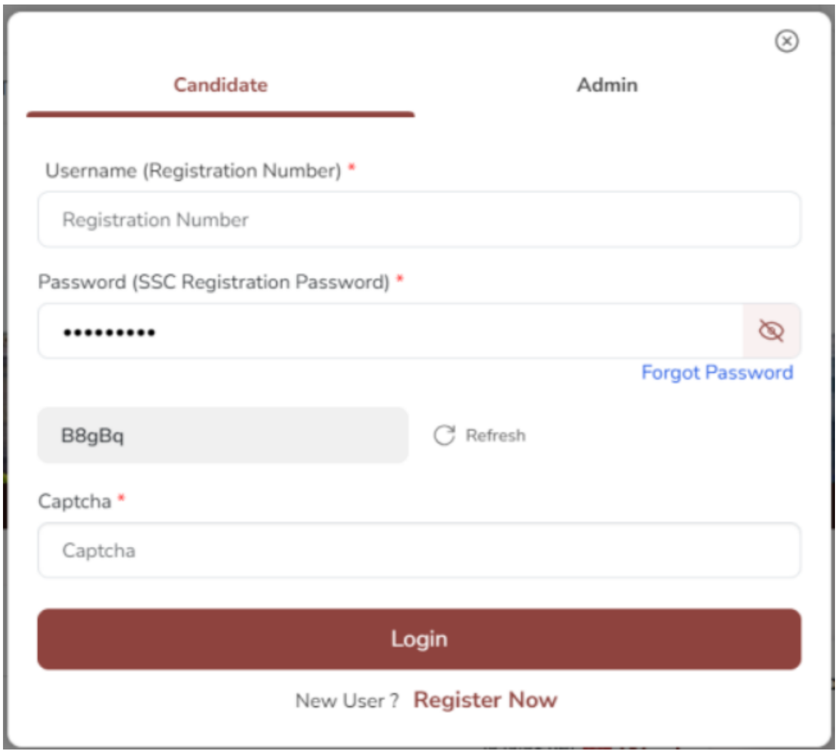

अनुबंध-1क (2/8)

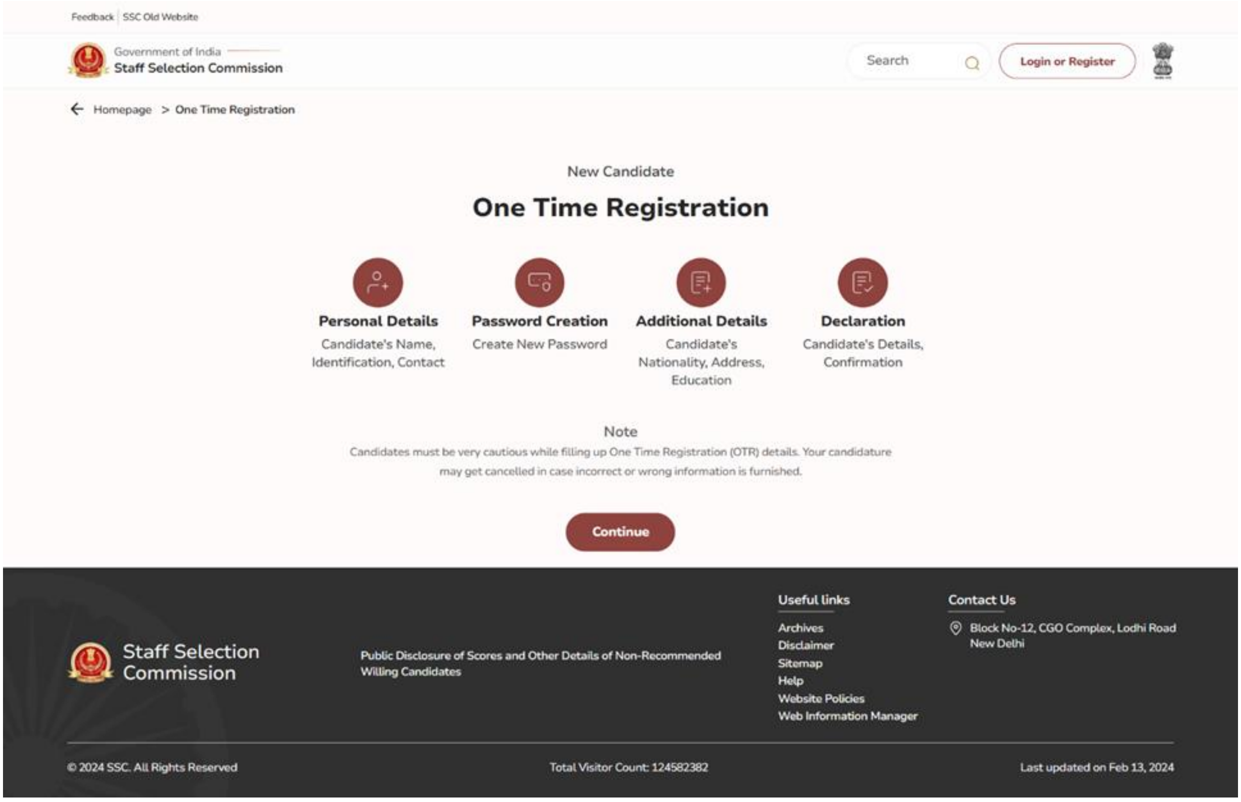
Feedback | SSC Old Website
Government of India
Staff Selection Commission
Search
Login or Register
Homepage > One Time Registration
New Candidate
One Time Registration
Personal Details
Candidate's Name, Identification, Contact
Password Creation
Create New Password
Additional Details
Candidate's Nationality, Address, Education
Declaration
Candidate's Details, Confirmation
Note
Candidates must be very cautious while filling up One Time Registration (OTR) details. Your candidature may get cancelled in case incorrect or wrong information is furnished.
Continue
Staff Selection Commission
Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates
Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager
Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi
© 2024 SSC. All Rights Reserved
Total Visitor Count: 124582382
Last updated on Feb 13, 2024

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Search | Login or Register

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

← Homepage > One Time Registration

One Time Registration

Personal Details

1. Do you have a Aadhaar Card ? *
( ) Yes ( ) No

1.1. Enter Your Aadhaar Details (UID / VID) *
e.g. 526262627262
Aadhaar Number should be same as mentioned in Aadhar Card.

a. Verify Aadhaar Details (UID / VID) *
eg. 526262627262

[ ] I consent to the use of my Aadhaar data for authentication purposes by SSC. I understand that the authentication will be done using my Aadhaar number or biometric data and that my information will be processed and stored securely. I acknowledge that I have read and understood the Privacy Policy and Terms of Service of SSC.

Send OTP

2. Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

1. Candidate Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof).

a. Verify Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

3. Have you ever changed Name ? *
( ) Yes ( ) No

a. New Name / Changed Name

b. Verify New Name/Changed Name

4. Gender *
Select

a. Verify Gender *
Select

5. Date Of Birth (DD-MM-YYYY) *
dd-mm-yyyy
Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate.

a. Verify Date of Birth (DD-MM-YYYY) *
dd-mm-yyyy

6. Father's Name *

1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc).

a. Verify Father's Name *

7. Mother's Name *

1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Mrs/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc).

a. Verify Mother's Name *

8. Matriculation (10th class) Education Board *
Select
Education Board of Matriculation Examination.

a. Verify Matriculation (10th class) Education Board *
Select

9. Roll Number *

(1) Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
(2) Only / and - are allowed , Please enter Roll number without any other special character(s).
(3) If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."

a. Verify Roll Number *

10. Year of Passing *
Select

a. Verify Year of Passing *
Select

11. Highest Level of Education Qualification *
Select

a. Verify Highest Level of Education Qualification *
Select

12. Candidate's Mobile Number *

OTP for verification will be sent to this mobile number

13. Candidate's Email ID *

OTP for verification will be sent to this Email ID

Note : At least one of mobile or email OTP validation is required to proceed further.

Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

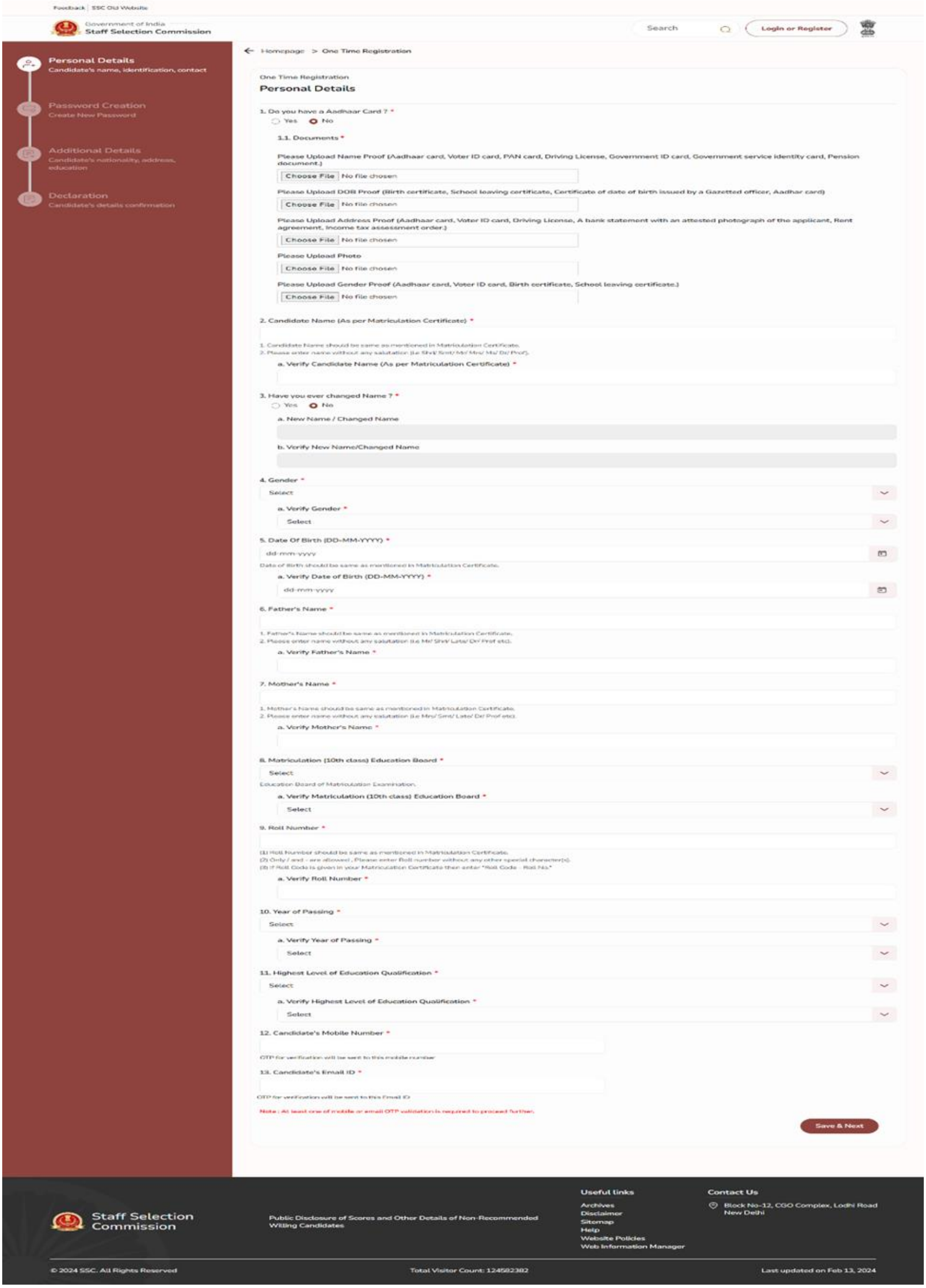

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Search

Login or Register

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

Homepage > One Time Registration

One Time Registration

Personal Details

1. Do you have a Aadhaar Card ? *
Yes No

1.1. Documents *

Please Upload Name Proof (Aadhaar card, Voter ID card, PAN card, Driving License, Government ID card, Government service identity card, Pension document.)
Choose File No file chosen

Please Upload DOB Proof (Birth certificate, School leaving certificate, Certificate of date of birth issued by a Gazetted officer, Aadhar card)
Choose File No file chosen

Please Upload Address Proof (Aadhaar card, Voter ID card, Driving License, A bank statement with an attested photograph of the applicant, Rent agreement, Income tax assessment order.)
Choose File No file chosen

Please Upload Photo
Choose File No file chosen

Please Upload Gender Proof (Aadhaar card, Voter ID card, Birth certificate, School leaving certificate.)
Choose File No file chosen

2. Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *
1. Candidate Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof).
a. Verify Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

3. Have you ever changed Name ? *
Yes No
a. New Name / Changed Name
b. Verify New Name/Changed Name

4. Gender *
Select
a. Verify Gender *
Select

5. Date Of Birth (DD-MM-YYYY) *
dd-mm-yyyy
Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
a. Verify Date of Birth (DD-MM-YYYY) *
dd-mm-yyyy

6. Father's Name *
1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc).
a. Verify Father's Name *

7. Mother's Name *
1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Mrs/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc).
a. Verify Mother's Name *

8. Matriculation (10th class) Education Board *
Select
Education Board of Matriculation Examination.
a. Verify Matriculation (10th class) Education Board *
Select

9. Roll Number *
(1) Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
(2) Only / and - are allowed , Please enter Roll number without any other special character(s).
(3) If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."
a. Verify Roll Number *

10. Year of Passing *
Select
a. Verify Year of Passing *
Select

11. Highest Level of Education Qualification *
Select
a. Verify Highest Level of Education Qualification *
Select

12. Candidate's Mobile Number *
OTP for verification will be sent to this mobile number

13. Candidate's Email ID *
OTP for verification will be sent to this Email ID

Note : At least one of mobile or email OTP validation is required to proceed further.

Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

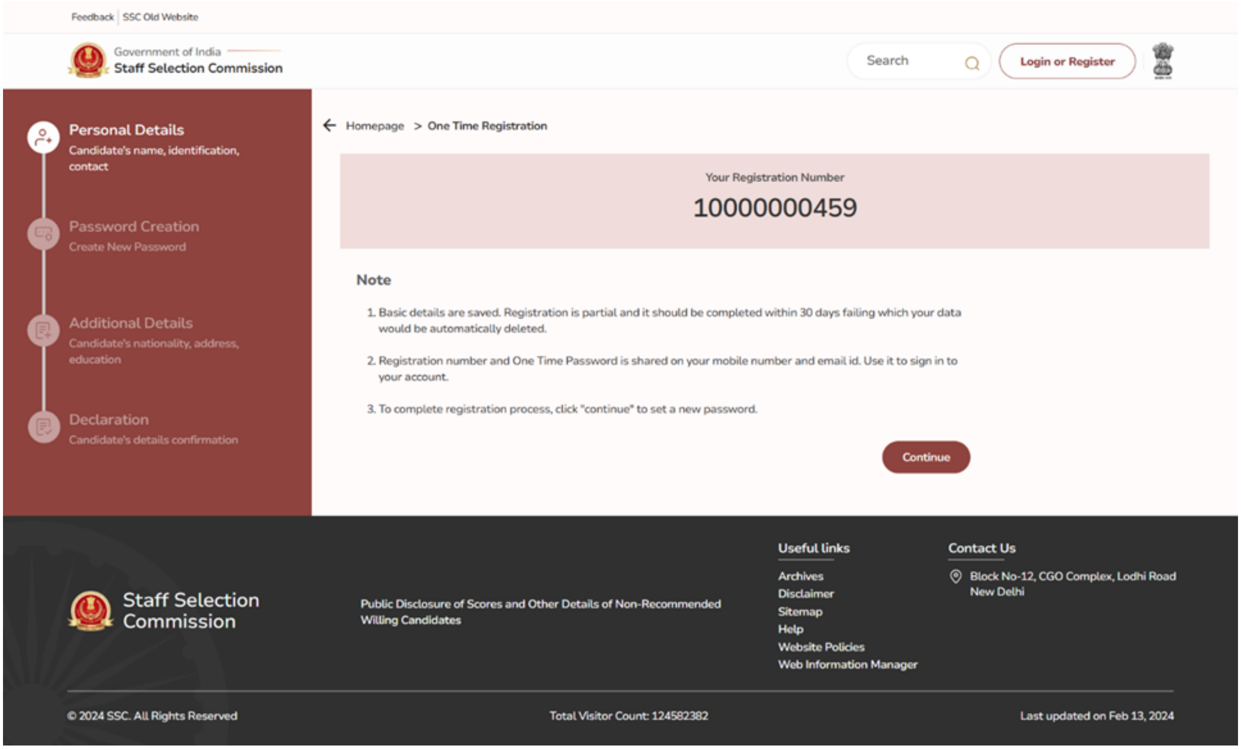
Feedback | SSC Old Website
Government of India
Staff Selection Commission
Search
Login or Register
Personal Details
Candidate's name, identification, contact
Password Creation
Create New Password
Additional Details
Candidate's nationality, address, education
Declaration
Candidate's details confirmation
Homepage > One Time Registration
Your Registration Number
10000000459
Note
1. Basic details are saved. Registration is partial and it should be completed within 30 days failing which your data would be automatically deleted.
2. Registration number and One Time Password is shared on your mobile number and email id. Use it to sign in to your account.
3. To complete registration process, click "continue" to set a new password.
Continue
Staff Selection Commission
Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates
Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager
Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi
© 2024 SSC. All Rights Reserved
Total Visitor Count: 124582382
Last updated on Feb 13, 2024

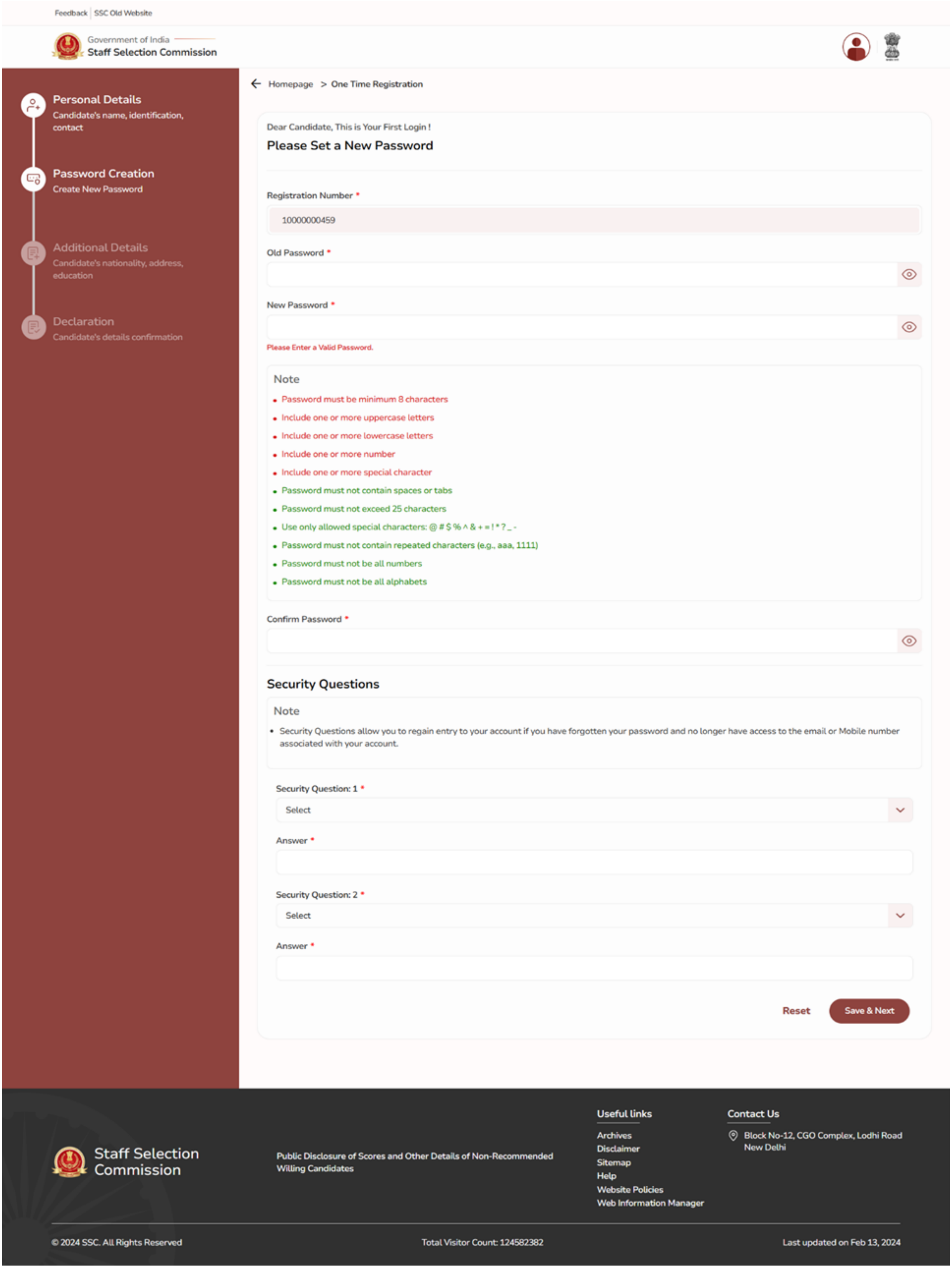
Feedback | SSC Old Website
Government of India
Staff Selection Commission
Personal Details
Candidate's name, identification, contact
Password Creation
Create New Password
Additional Details
Candidate's nationality, address, education
Declaration
Candidate's details confirmation
Homepage > One Time Registration
Dear Candidate, This is Your First Login !
Please Set a New Password
Registration Number *
10000000459
Old Password *
New Password *
Please Enter a Valid Password.
Note
Password must be minimum 8 characters
Include one or more uppercase letters
Include one or more lowercase letters
Include one or more number
Include one or more special character
Password must not contain spaces or tabs
Password must not exceed 25 characters
Use only allowed special characters: @ # $ % ^ & + = ! * ? _ -
Password must not contain repeated characters (e.g., aaa, 1111)
Password must not be all numbers
Password must not be all alphabets
Confirm Password *
Security Questions
Note
Security Questions allow you to regain entry to your account if you have forgotten your password and no longer have access to the email or Mobile number associated with your account.
Security Question: 1 *
Select
Answer *
Security Question: 2 *
Select
Answer *
Reset
Save & Next
Staff Selection Commission
Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates
Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager
Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi
© 2024 SSC. All Rights Reserved
Total Visitor Count: 124582382
Last updated on Feb 13, 2024

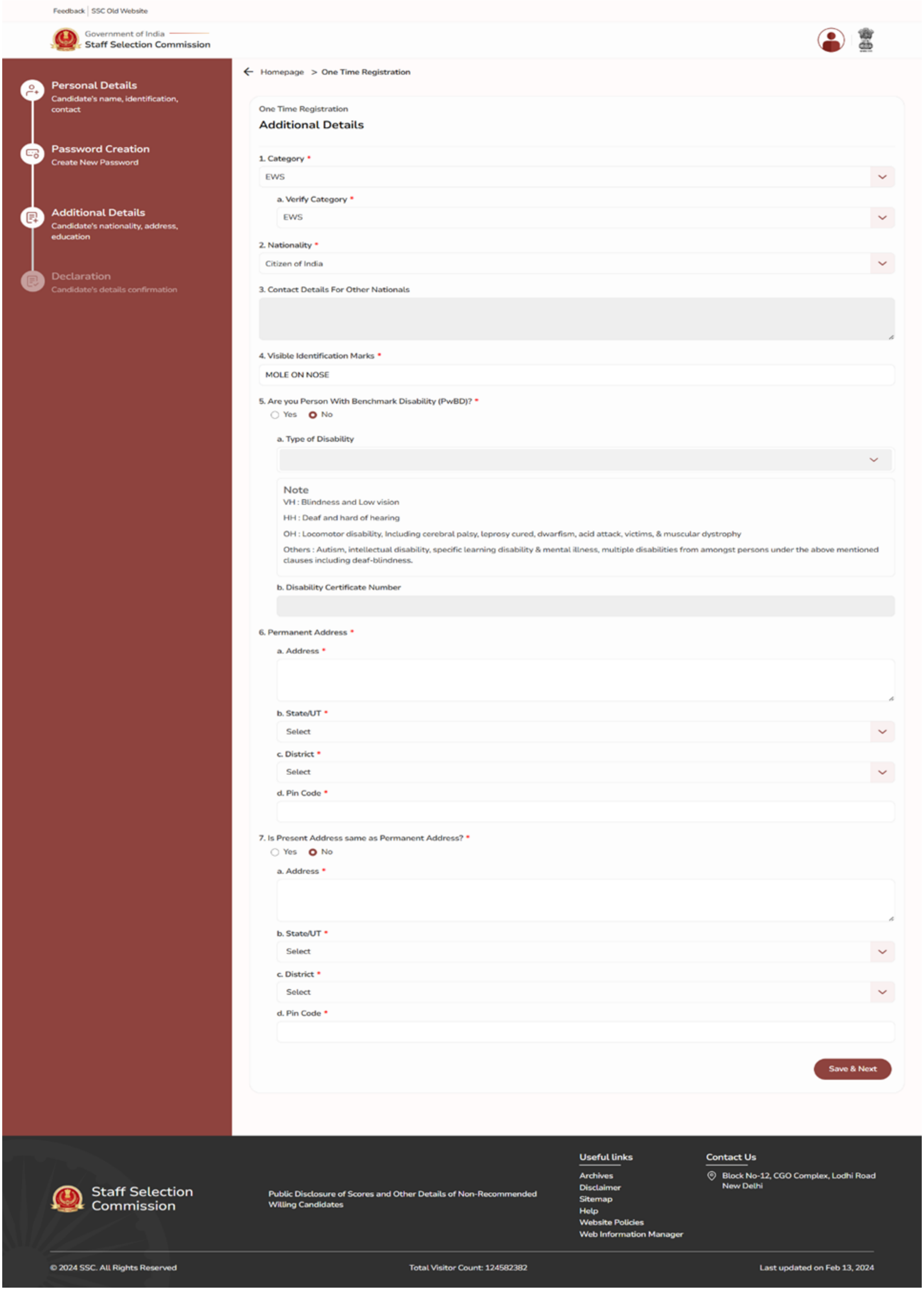

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

Homepage > One Time Registration

One Time Registration

Additional Details

1. Category *
EWS

a. Verify Category *
EWS

2. Nationality *
Citizen of India

3. Contact Details For Other Nationals

4. Visible Identification Marks *
MOLE ON NOSE

5. Are you Person With Benchmark Disability (PwBD)? *
Yes No

a. Type of Disability

Note
VH : Blindness and Low vision
HH : Deaf and hard of hearing
OH : Locomotor disability, Including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack, victims, & muscular dystrophy
Others : Autism, intellectual disability, specific learning disability & mental illness, multiple disabilities from amongst persons under the above mentioned clauses including deaf-blindness.

b. Disability Certificate Number

6. Permanent Address *

a. Address *

b. State/UT *
Select

c. District *
Select

d. Pin Code *

7. Is Present Address same as Permanent Address? *
Yes No

a. Address *

b. State/UT *
Select

c. District *
Select

d. Pin Code *

Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

-

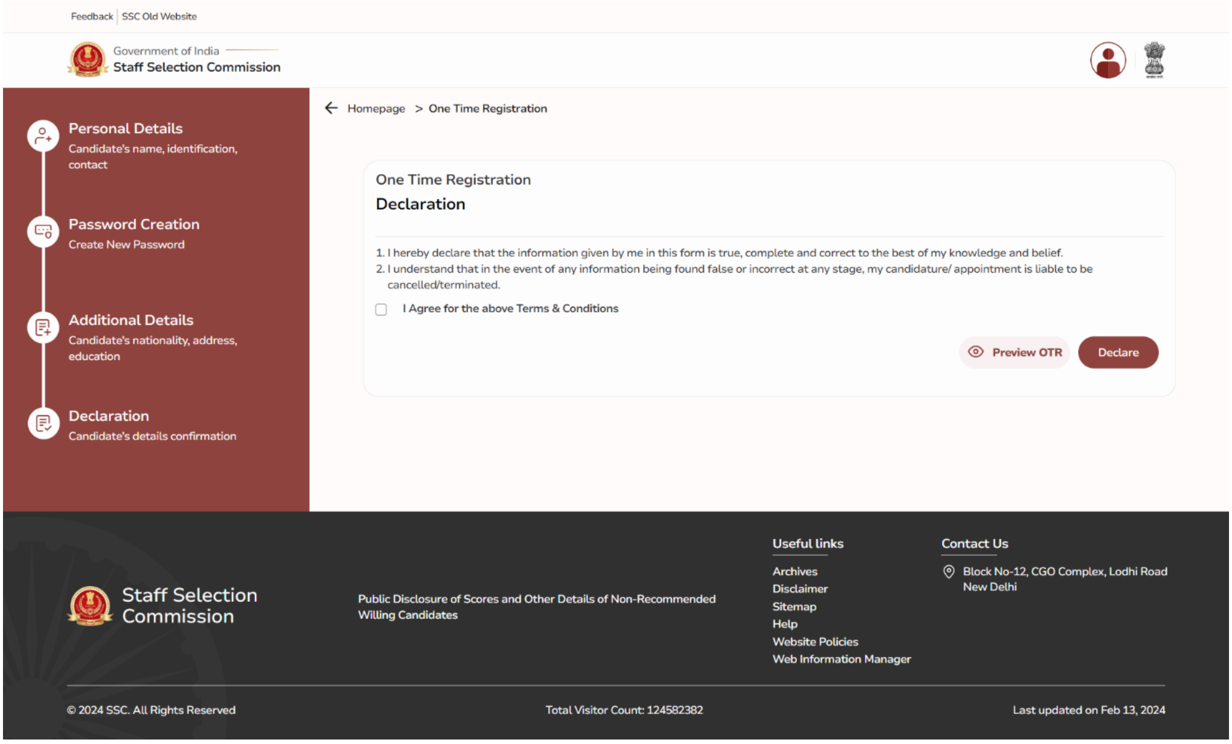
Feedback | SSC Old Website
Government of India
Staff Selection Commission
Personal Details
Candidate's name, identification, contact
Password Creation
Create New Password
Additional Details
Candidate's nationality, address, education
Declaration
Candidate's details confirmation
Homepage > One Time Registration
One Time Registration
Declaration
1. I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief.
2. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/ appointment is liable to be cancelled/terminated.
I Agree for the above Terms & Conditions
Preview OTR
Declare
Staff Selection Commission
Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates
Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager
Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi
© 2024 SSC. All Rights Reserved
Total Visitor Count: 124582382
Last updated on Feb 13, 2024

<u>अनुबंध-II</u>

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन पत्र)

<u>ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु निर्देश:-</u>

1. ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व निम्नलिखित तैयारियां /ब्यौरे/ डाटा तैयार करके रखें:

(क) ऑनलाइन एप्लिकेशन माड्यूल को ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने वाले अभ्यर्थी की फोटो खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खींची गई फोटो स्पष्ट हो, बिना टोपी पहने, बिना चश्मा लगाए हो और चेहरे के सामने का भाग दिखाई देना चाहिए। स्वीकृत/अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने **अनुबंध-III(4/4)** में दिए गए हैं । यदि खींची गई फोटो स्वीकृत नमूने के अनुसार नहीं है तो अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह पुनः फोटो खींचे। स्वीकृत नमूने के अनुरूप न होने वाले फोटोग्राफ वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र निरस्त किए जा सकते हैं। परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपस्थिति ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई तस्वीर के अनुसार होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे लाइव फोटो खींचते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें:

(i) अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें।
(ii) फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है।
(iii) अपने आप को कैमरे के सामने रखें और सीधे देखें।
(iv) सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा कैमरे द्वारा चित्रित आयताकार क्षेत्र के अंदर पूरी तरह से है और यह न तो बहुत करीब है और न ही बहुत दूर है। इसे क्षेत्र को पूरी तरह से कवर करना चाहिए और चेहरे का कोई भी हिस्सा कैमरे द्वारा चित्रित क्षेत्र के बाहर नहीं होना चाहिए।
(v) अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए।

जो अभ्यर्थी कैमरे के माध्यम से अपनी फोटो खींचने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने मोबाईल डिवाइस के माध्यम से फोटो खींचने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड मोबाइल फोन हेतु प्ले स्टोर से ऐप्लिकैशन को डाउनलोड करने के लिए Upload Documents के क्रम सं.1 में दिए गए क्यूआर(QR) कोड का उपयोग करें। फोटो बिना टोपी पहने, बिना चश्मा लगाए होनी चाहिए और चेहरे के सामने का भाग दिखाई देना चाहिए। स्वीकृत नमूने [अनुबंध-III(4/4)] के अनुरूप न होने वाले फोटोग्राफ वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र अस्वीकृत किए जा सकते हैं। स्वीकृत/अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने **अनुबंध-III(4/4)** में दिए गए हैं।

ख) स्कैन किए गए हस्ताक्षर जेपीईजी फार्मेट (10 से 20 केबी) में होने चाहिए। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। हस्ताक्षर क्षैतिज रूप से संरेखित होने चाहिए। **अपठनीय/ धुंधले /लघु हस्ताक्षर वाले ऑनलाइन आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। हस्ताक्षर को निरस्त करने का प्रमुख कारण 'लघु' हस्ताक्षर है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए अनुबंध-III में दिए गए निर्देशों का संदर्भ लें।**

तथापि, आधार आधारित प्रमाणीकरण हेतु चयन करने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र इस आधार पर निरस्त नहीं किए जाएंगे कि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किया गया फोटो और/या हस्ताक्षर निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है।

ग) अर्हक शैक्षणिक योग्यता का विवरण जैसे परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष, रोल नंबर, प्रतिशत/सीजीपीए, विश्वविद्यालय का नाम आदि।

2. अपने **'पंजीकरण-संख्या'** और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगिन करें।

3. 'Live Exam' टैब के अंतर्गत 'Constable (GD) in CAPFs and SSF, and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination, 2026' सेक्शन के 'Apply' लिंक पर क्लिक करें।

4. क्रम सं.-1 से 18 कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भरी जाएगी जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

5. क्रम संख्या-19: कृपया अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख करें।

6. क्रम संख्या-20: अर्हक शैक्षणिक योग्यता के विवरण का उल्लेख करें (परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा सं. 7.1 एवं 7.2 के अनुसार)।

    1. क्रम संख्या-20.1: अपनी शैक्षणिक योग्यता (EQ) की स्थिति का उल्लेख करें।
    2. क्रम संख्या-20.2: उत्तीर्ण होने का वर्ष दर्शाएं।
    3. क्रम संख्या-20.3: परीक्षा बोर्ड के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख करें।
    4. क्रम संख्या-20.4: बोर्ड का नाम दर्शाएं।
    5. क्रम संख्या-20.5: अपनी अनुक्रमांक संख्या दर्शाएं।
    6. क्रम संख्या-20.6: अपनी प्रतिशतता दर्शाएं (वर्ष 2020 और 2021 हेतु अभ्यर्थी जिनके अंकपत्र (Marksheet) में **कोविड-19** या अन्य किसी कारण से प्रतिशत नहीं दर्शाया गया है, वे अभ्यर्थी **NA** दर्ज कर सकते हैं)।
    7. क्रम संख्या-20.7: यदि लागू हो तो अपना सीजीपीए दर्शाएं।

7. क्र.स.-21: यदि आप एक भूतपूर्व सैनिक (भूपुसै) हैं या सशस्त्र बलों में सेवारत हैं, तो वांछित जानकारी भरें। भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है और इसलिए उन्हें 'No' का चयन करना चाहिए।

    1. क्रम संख्या-21.1: सशस्त्र बलों में कार्यग्रहण की तारीख दर्शाएं।
    2. क्रम संख्या-21.2: सशस्त्र बलों से कार्यमुक्ति की तारीख/ कार्यमुक्ति की संभावित तारीख बताएं।
    3. क्रम संख्या-21.3: सशस्त्र बलों में सेवाकाल का समय दर्शाएं।
    4. क्रम संख्या-21.4: यदि आप भूतपूर्व सैनिक (ESM) हेतु आरक्षण का लाभ उठाकर पहले ही किसी सिविल पद पर नियुक्त हो चुके हैं तो 'Yes' इंगित करें (परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 5.3 का संदर्भ लें)।
    5. क्रम संख्या-21.5: सिविल पद में कार्यग्रहण की तारीख दर्शाएं।

8. अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख करें। यदि आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं या सशस्त्र सेना में कार्यरत हैं, तो आवश्यक जानकारी भरें। सैनिकों / भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है और इसलिए उन्हें 'No' विकल्प चुनना चाहिए।

9. क्र.स.-22: यदि आप आयु में छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो 'Yes' का चयन करें।

क. क्र.स.-22.1: उचित आयु- छूट कोड का चयन करें (परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 5.1 देखें)।

10. क्र.स.-23: यदि आप डीओपीटी(DoP&T) के दिनांक 21/06/2016 के का.ज्ञा.सं.-39020/1/2016-स्था(बी) के अनुसार, रोजगार के अवसर प्राप्त करने हेतु अपनी व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध कराना चाहते हैं तो 'Yes' का चयन करें (कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा सं. 19 का संदर्भ लें)।

11. क्र.स.-24: परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें। आप उसी क्षेत्र के भीतर परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। तीनों केंद्रों के लिए विकल्प, वरीयता क्रम में दिया जाना चाहिए।

12. क्र.स.-25: कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए माध्यम के बारे में जानकारी प्रदान करें और माध्यम का सत्यापन करें।

13. क्र.स.-26: यदि आप एनसीसी प्रमाणपत्र धारक हैं तो 'Yes' का चयन करें (परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 7.5 देखें)।

क्र.स.-26.1: एनसीसी प्रमाणपत्र का विवरण प्रदान करें (यथा एनसीसी प्रमाणपत्र के प्रकार)।

14. क्र.स.-27: यदि आपने राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है तो 'Yes' का चयन करें। क्रम सं.- 27.1, 27.2, 27.3 एवं 27.4 में प्रमाणपत्र का विवरण प्रदान करें। **अभ्यर्थियों को खेल प्रमाणपत्र धारक होने के एवज़ में कोई अतिरिक लाभ/ अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे।**

15. क्र.स.-28 एवं 29: अपना अधिवास राज्य / संघ राज्य क्षेत्र और अधिवास जिले का चयन करें। चूंकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) और असम राइफल्स में राइफलमैन (सामान्य ड्यूटी) के पद के लिए रिक्तियां अधिवास आधारित हैं और रिक्तियां सीमावर्ती जिलों और नक्सल/आतंकवाद से प्रभावित जिले के लिए भी आरक्षित हैं, इसलिए आपको क्रमशः क्रम संख्या- 28 एवं 29 में आपके द्वारा उल्लिखित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिले से ही माना जाएगा। आपको दस्तावेज़ सत्यापन के समय क्र.स.-28 एवं 29 में आपके द्वारा निर्दिष्ट राज्य / संघ राज्य क्षेत्र और जिले का अधिवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। आपके द्वारा क्र.स.-28 एवं 29 में उल्लिखित अधिवास राज्य / संघ राज्य क्षेत्र व जिले और दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत अधिवास प्रमाण पत्र में उल्लिखित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र व जिले के बीच यदि कोई विसंगति मिलती है तो आपकी अभ्यर्थिता सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएगी।

16. क्र.स.-30: यदि आप अपने मूल राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में चले गए हैं तो 'Yes' का चयन करें।

क्र.स.-30.1: यदि आप अजा/अजजा/अपिव श्रेणी से संबंधित हैं और अपने मूल राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र से अपने अधिवास राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में स्थानांतरित हो गए हैं, तो आपके पास विकल्प है या तो आप अपने मूल राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र से आरक्षण का लाभ उठाएं अथवा आपको आपने वर्तमान अधिवास राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की रिक्तियों के प्रतिकूल, जैसा भी मामला हो, अनारक्षित अभ्यर्थी माना जाएगा **(यदि**

आप 'Yes' का चयन करते हैं तो आपको आपके मूल राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि आप 'No' का चयन करते हैं तो आपको अपने अधिवास राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र से 'अनारक्षित' अभ्यर्थी माना जाएगा)। अपना सुविचारित निर्णय लें और तदनुसार इस कॉलम में जानकारी भरें (विस्तृत जानकारी के लिए परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 6.2, 6.3 और 6.4 को देखें)।

क्र.स.-30.2 एवं 30.3: अपने मूल राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की जानकारी प्रदान करें।

टिप्पणी: प्रवसन का अर्थ एक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र (मूलवास का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र) से किसी अन्य राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र (अधिवास राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र) स्थायी रूप से स्थानांतरण है। एक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण प्रवसन नहीं माना जाता है।

17. क्र.स.-31: **अनुबंध-XII** के अनुसार आतंकवाद/नक्सल प्रभावित जिलों की जानकारी स्वतः भर जाएगी।

18. क्र.स.-32: **अनुबंध -XI** के अनुसार सीमावर्ती जिलों की जानकारी स्वतः भर जाएगी।

19. क्र.स.-33: कें. स. पु. ब. (CAPFs)/ संगठनों की अपनी वरीयता दें। सभी सात (07) विकल्पों को भरना अनिवार्य हैं।

<u>हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ अपलोड करना (अभ्यर्थी को हस्ताक्षर अपलोड करने से संबंधित निर्देश अनुबंध-III में दिए गए हैं):–</u>

20. निम्नलिखित निर्दिष्टानुसार बिना चश्मे/टोपी के अपनी लाइव फ़ोटो अपलोड करें:

क. अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें।

क. फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है।

ख. अपने आप को कैमरे के सामने रखें और सीधे सामने देखें।

ग. यह सुनिश्चित करें कि चेहरा कैमरे में चित्रित लाल आयताकार स्थान के अंदर पूरी तरह समाहित हो और न तो यह बहुत करीब हो और न ही बहुत दूर हो। यह इस स्थान को पूरी तरह कवर करे और चेहरे का कोई भी भाग इस आयताकार स्थान से बाहर नहीं होना चाहिए।

घ. अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपीमास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए। ,

ङ. किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को अपने पहले से मौजूद तस्वीर की फोटो नहीं खींचनी चाहिए। ऐसे सभी आवेदन जिनमें अभ्यर्थी की पहले से मौजूद तस्वीर की फ़ोटो खींची गई हो, रद्द कर दिए जाएंगे।

च. फोटो खींचते समय ईयरफोन या कोई भी उपकरण न पहनें।

21. निम्नानुसार अपना हस्ताक्षर अपलोड करें:-

क. अनुमत छवि आकार: जेपीईजी/जेपीजी प्रारूप में 10 केबी से 20 केबी।

ख. छवि का आयाम: 300 डीपीआई (DPI) के रिज़ॉल्यूशन (resolution) पर लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई)।

ग. लघु/धुंधले हस्ताक्षर वाले ऑनलाइन आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।

घ. हस्ताक्षर क्षैतिज रूप से सरेखित होना चाहिए।

ङ. स्वीकृत/अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने **अनुबंध-III (2/4)** में दिए गए हैं।

22. घोषणा को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यदि स्वीकार है तो “मैं सहमत हूं” चेक बॉक्स पर क्लिक करें। कैप्चा कोड भरें।

23. आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें। यदि आप किसी भी प्रविष्टि में कोई संशोधन करना चाहते हैं तो ‘’Edit/Modify’’ बटन पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले अपेक्षित संशोधन कर लें। जब आप संतुष्ट हो जाएं कि जानकारी सही भरी गई है, जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात आप ऑनलाईन आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर पाएंगे।

24. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गयी है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।

25. शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीसा, मास्टरकार्ड, मैस्ट्रो कार्ड, रूपे डेबिट कार्ड का उपयोग करके केवल ऑनलाइन किया जा सकता है। शुल्क भुगतान हेतु और अधिक जानकारी के लिए परीक्षा-विज्ञप्ति के पैरा 9 का संदर्भ लें।

26. जब ऑनलाइन आवेदन पत्र सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा, तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्थिति ‘आवेदन प्राप्त (विषयवस्तु सत्यापित नहीं)’ के रूप में इंगित की जाएगी। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट लेना चाहिए। किसी भी स्तर पर आयोग को 'ऑनलाइन आवेदन पत्र' का प्रिंट-आउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, आपको ऑनलाईन आवेदन पत्र से संबंधित शिकायतों, यदि कोई हो, को संबोधित करने के लिए ऑनलाईन आवेदन-पत्र का प्रिंट-आउट देना होगा।

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Application Form

Constable (GD) in Central Armed Police Forces (CAPFs) and SSF, and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination, 2026

Instructions to follow

- Read the Notice of Examination carefully.
- Please be careful and provide correct details in the Online Application Form.
- For applying, the candidate is not required to have a pre-existing photograph of himself / herself. The Online Application Module has been designed to capture a photograph of the candidate filling up the Online Application Form. For this purpose, the candidate has to stand / sit before the camera when prompted by the Online Application Module and follow the instructions.
- The photograph can be captured using a webcam or smartphone.
- The candidate should also have a scanned copy of his /her signature in JPEG format (10 to 20 KB). Image dimension of the signature should be about 6.0 cm (width) x 2.0 cm (height). Online Application Forms with blurred/miniature signature will be rejected.
- Fee can be paid only through online payment modes, namely BHIM UPI, Net Banking, or by using Visa, MasterCard, Maestro, or RuPay, Debit card.

- कृपया परीक्षा-विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- कृपया सावधानी बरतें और आवेदन में सही जानकारी दें।
- आवेदन करने हेतु, अभ्यर्थी को उसके पहले से खींचे गए फ़ोटो की आवश्यकता नहीं है । आवेदन मॉड्यूल को आवेदनपत्र भरने वाले अभ्यर्थी का फ़ोटो लेने के लिए डिजाइन किया गया है । इस प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी को मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़े होना/ बैठना होगा और निर्देशों का पालन करना होगा।
- फ़ोटो वेबकैम अथवा स्मार्टफोन का प्रयोग कर खींचा जा सकता है।
- अभ्यर्थी को जेपीईजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में अपने हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रति भी रखनी चाहिए। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए । धुंधले/लघु हस्ताक्षर वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन भुगतान मोड के ज़रिए, यथा भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीज़ा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो अथवा रूपे, डेबिट कार्ड का प्रयोग करके ही किया जा सकता है।

Fill Form >

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links

Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us

Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 250278040

Last updated on Nov 27, 2025

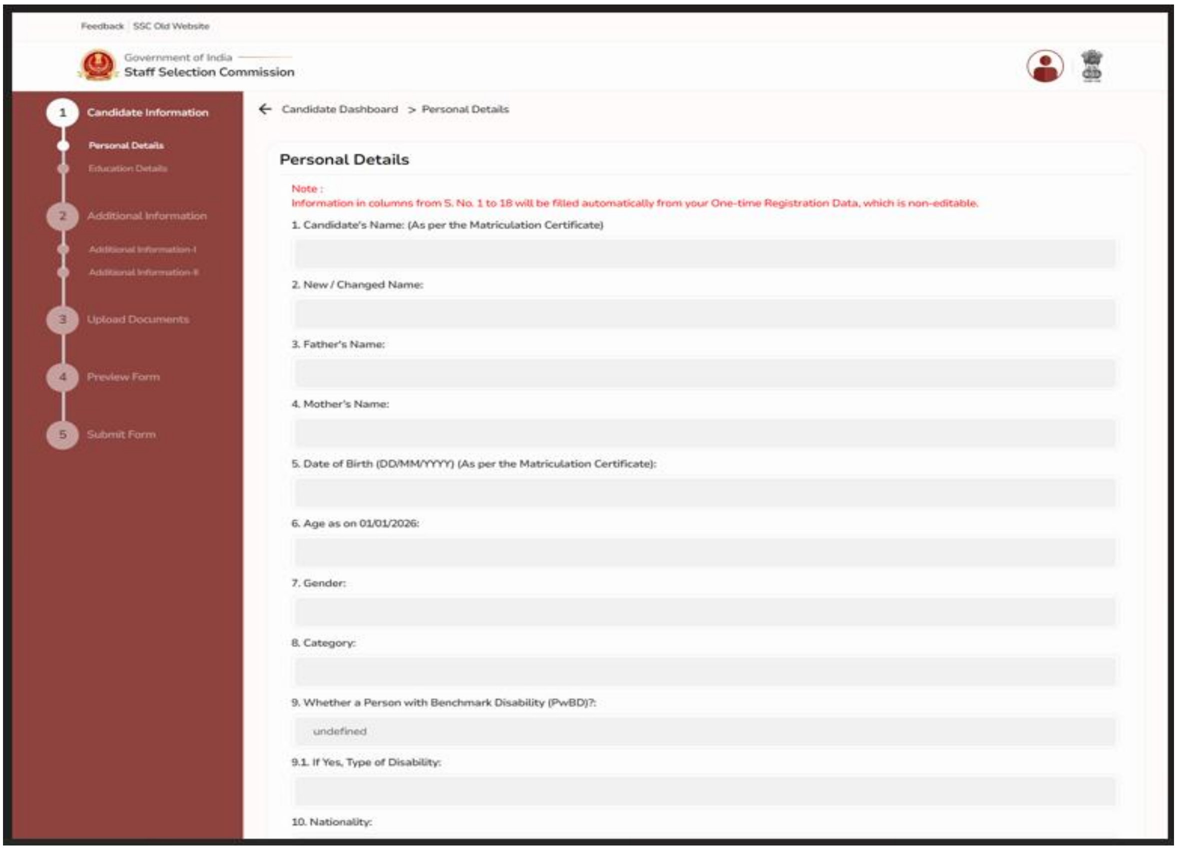

Feedback | SSC Old Website

Government of India

Staff Selection Commission

1 Candidate Information

Personal Details

Education Details

2 Additional Information

Additional Information-I

Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

Candidate Dashboard > Personal Details

Personal Details

Note :
Information in columns from S. No. 1 to 18 will be filled automatically from your One-time Registration Data, which is non-editable.

1. Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate)

2. New / Changed Name:

3. Father's Name:

4. Mother's Name:

5. Date of Birth (DD/MM/YYYY) (As per the Matriculation Certificate):

6. Age as on 01/01/2026:

7. Gender:

8. Category:

9. Whether a Person with Benchmark Disability (PwBD)?:

undefined

9.1. If Yes, Type of Disability:

10. Nationality:

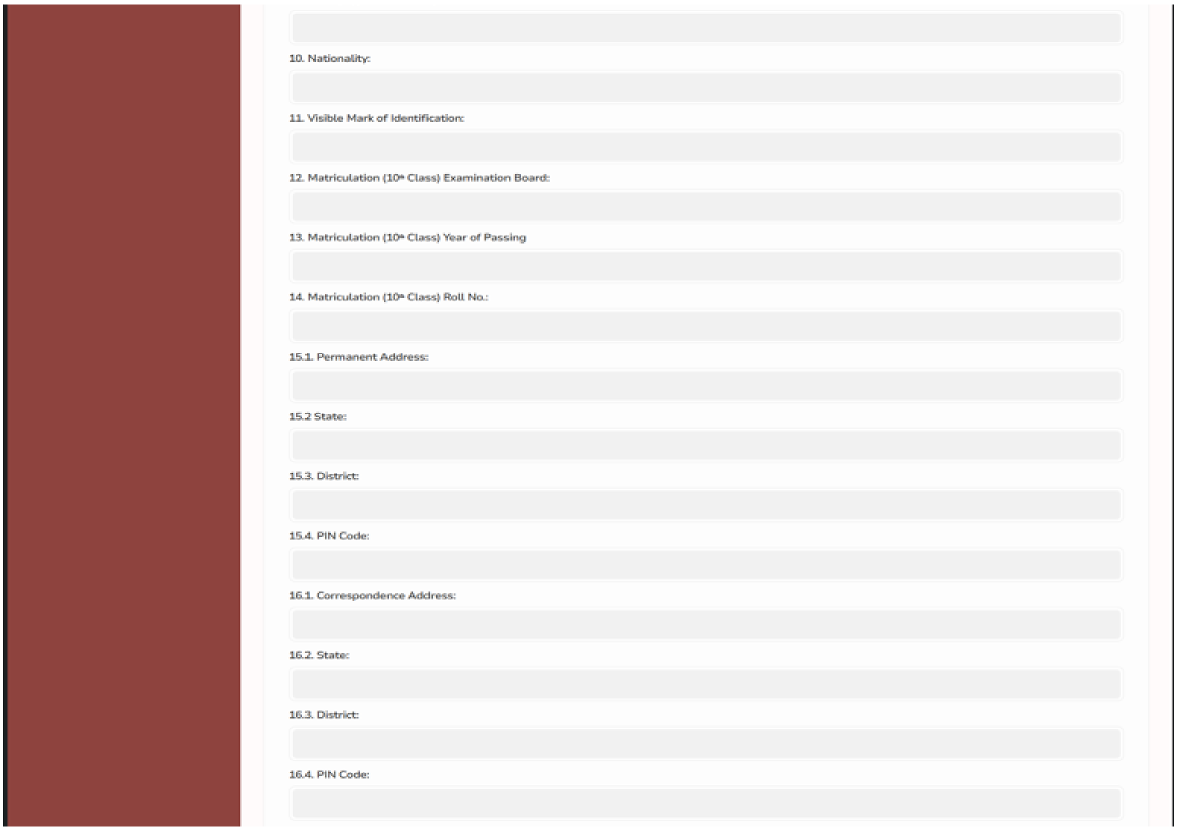

10. Nationality:

11. Visible Mark of Identification:

12. Matriculation (10th Class) Examination Board:

13. Matriculation (10th Class) Year of Passing

14. Matriculation (10th Class) Roll No.:

15.1. Permanent Address:

15.2 State:

15.3. District:

15.4. PIN Code:

16.1. Correspondence Address:

16.2. State:

16.3. District:

16.4. PIN Code:

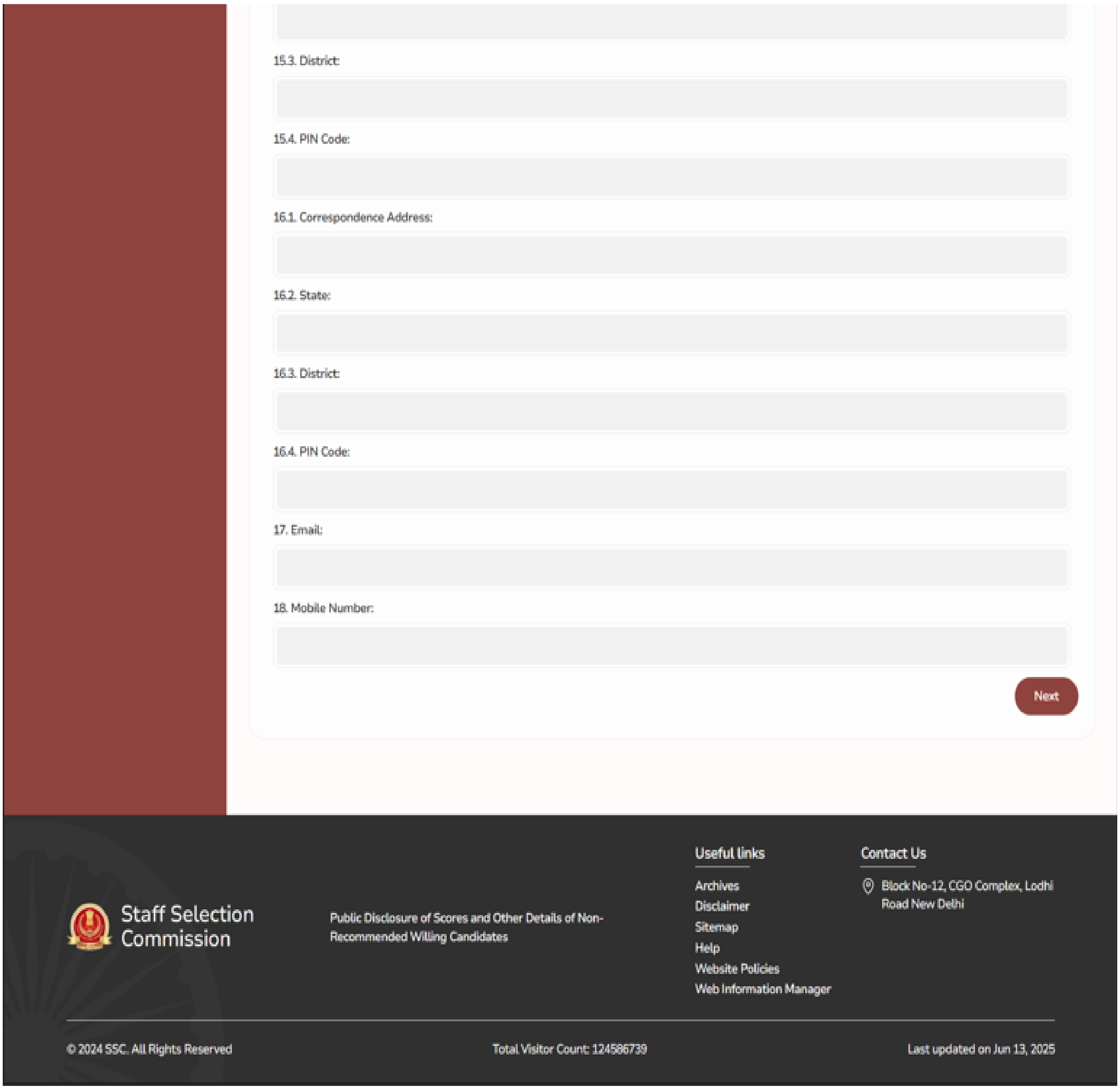
15.3. District:

15.4. PIN Code:

16.1. Correspondence Address:

16.2. State:

16.3. District:

16.4. PIN Code:

17. Email:

18. Mobile Number:

Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links

- Archives
- Disclaimer
- Sitemap
- Help
- Website Policies
- Web Information Manager

Contact Us

Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124586739

Last updated on Jun 13, 2025

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

1 Candidate Information
- Personal Details
- Education Details

2 Additional Information
- Additional Information-I
- Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

← Candidate Dashboard > Education Detail

Education Details

19. Highest Educational Qualification: *

Select

Qualifying Educational Qualification

20. Details of Qualifying Educational Qualification: *

10th Standard

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 7.1 to 7.2

20.1. EQ Status: *

Passed

20.2. Passing Year: *

2015

20.3. State/ UT of Board: *

Delhi

20.4. Name of Board: *

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION (CBSE)

20.5. Roll Number: *

7142405

20.6. Percentage:

Note: Candidates who do not have their percentage mentioned on their marksheet due to COVID-19 or any other reasons for the years 2020 and 2021 can enter NA.

Enter percentage here...

20.7. CGPA:

Enter CGPA here...

Go Back | Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
- Archives
- Disclaimer
- Sitemap
- Help
- Website Policies
- Web Information Manager

Contact Us

Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 250303655

Last updated on Nov 28, 2025

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

1 Candidate Information
- Personal Details
- Education Details

2 Additional Information
- Additional Information-I
- Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

← Candidate Dashboard > Additional Information-I

Additional Information-I

21. Whether you are an Ex-Servicemen (ESM) or serving in the Armed Forces? *
(●) Yes ( ) No

21.1. Date of Joining the Armed Forces (DD/MM/YYYY): *
mm/dd/yyyy

21.2. Date of Discharge/ Likely Date of Discharge from the Armed Forces (DD/MM/YYYY): *
mm/dd/yyyy

21.3. Length of service in the Armed Forces:

21.4. Have you already joined a civil post by availing of benefit of reservation for Ex-Serviceman (ESM)?
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 5.3
( ) Yes ( ) No

21.5. Date of Joining to Civil Post (DD/MM/YYYY):
mm/dd/yyyy

22. Whether seeking Age Relaxation? *
(●) Yes ( ) No

22.1. If Yes, Age Relaxation Code: *
Select
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 5.1

23. Do you want to make your personal information available for accessing job opportunities in terms of DoP&T's O.M. No. 39020/1/2016/Estt(B) dated 21/06/2016?*
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 19
(●) Yes ( ) No

Go Back | Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
- Archives
- Disclaimer
- Sitemap
- Help
- Website Policies
- Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 250303655

Last updated on Nov 28, 2025

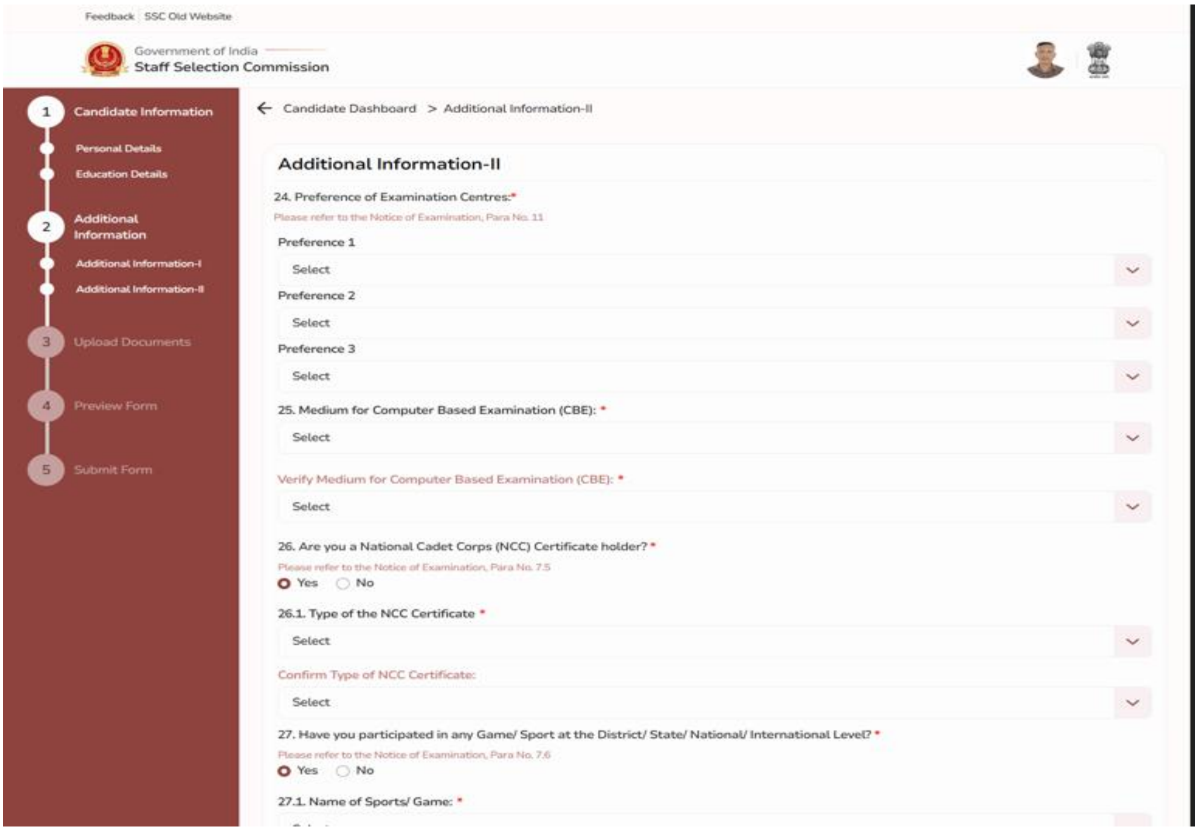

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

1 Candidate Information
- Personal Details
- Education Details

2 Additional Information
- Additional Information-I
- Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

← Candidate Dashboard > Additional Information-II

Additional Information-II

24. Preference of Examination Centres:*

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 11

Preference 1

Select

Preference 2

Select

Preference 3

Select

25. Medium for Computer Based Examination (CBE): *

Select

Verify Medium for Computer Based Examination (CBE): *

Select

26. Are you a National Cadet Corps (NCC) Certificate holder? *

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 7.5

Yes No

26.1. Type of the NCC Certificate *

Select

Confirm Type of NCC Certificate:

Select

27. Have you participated in any Game/ Sport at the District/ State/ National/ International Level? *

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 7.6

Yes No

27.1. Name of Sports/ Game: *

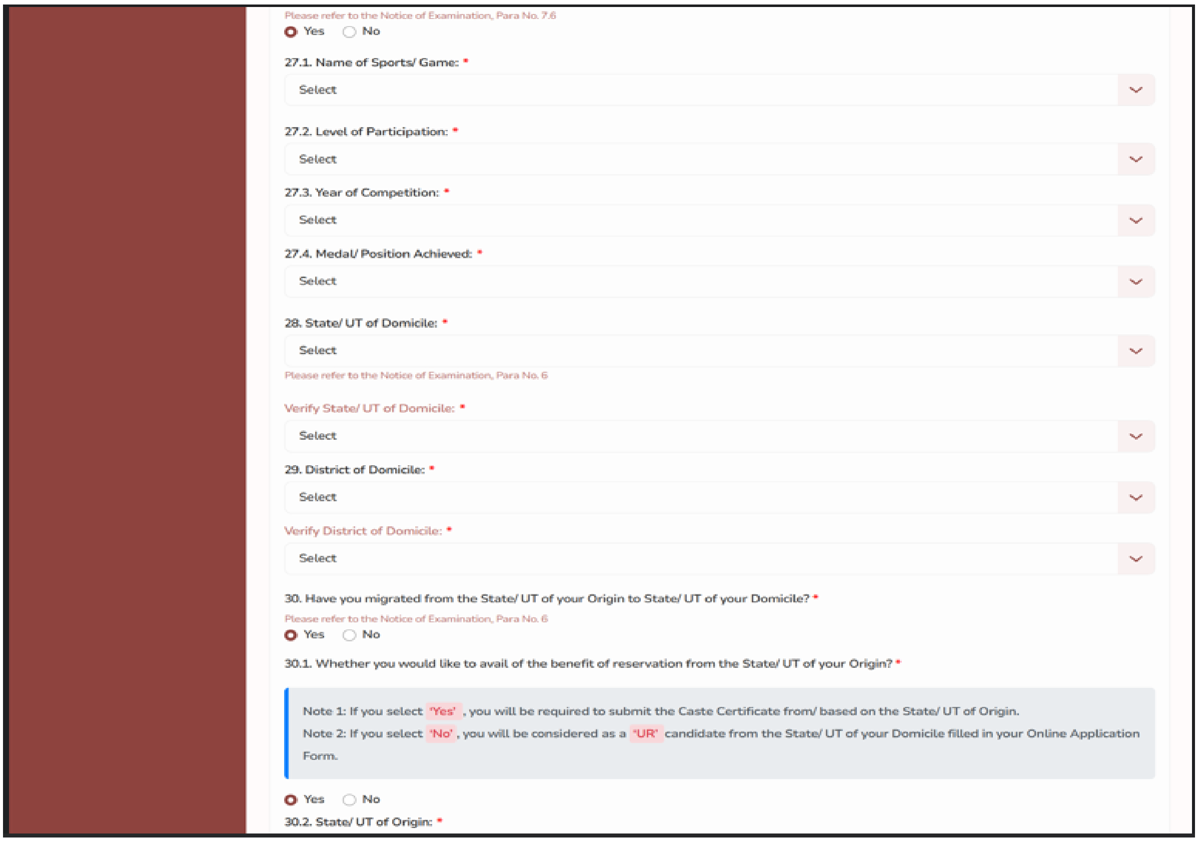

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 7.6

Yes No

27.1. Name of Sports/ Game: *

Select

27.2. Level of Participation: *

Select

27.3. Year of Competition: *

Select

27.4. Medal/ Position Achieved: *

Select

28. State/ UT of Domicile: *

Select

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 6

Verify State/ UT of Domicile: *

Select

29. District of Domicile: *

Select

Verify District of Domicile: *

Select

30. Have you migrated from the State/ UT of your Origin to State/ UT of your Domicile? *

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 6

Yes No

30.1. Whether you would like to avail of the benefit of reservation from the State/ UT of your Origin? *

> Note 1: If you select 'Yes' , you will be required to submit the Caste Certificate from/ based on the State/ UT of Origin.
> Note 2: If you select 'No' , you will be considered as a 'UR' candidate from the State/ UT of your Domicile filled in your Online Application Form.

Yes No

30.2. State/ UT of Origin: *

Form.

Yes No

30.2. State/ UT of Origin: *

Select

30.3. District of Origin: *

Select

31. Candidate belongs to Militancy/ Naxal affected District? *

Yes No

32. Candidate belongs to Border District? *

Yes No

33. Preference of posts for CAPFs/ Organisations: *

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 14.9 and 14.12

Reset

Verify preference of posts for CAPFs/ Organisations: *

Reset

Post Details

Go Back

Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links

Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us

Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 250303655

Last updated on Nov 28, 2025

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

1 Candidate Information
- Personal Details
- Education Details

2 Additional Information
- Additional Information-I
- Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

← Candidate Dashboard > Upload Photograph & Signature

Upload Photograph & Signature

To download the app from the play store, scan the below **QR code**

1. Face Authentication Status : Pending

Process to complete Face Authentication:

- Log In to Mobile Application (myssc).
- Go to Dashboard
- Go to My Application.
- Click Continue Button for the respective Examination.
- Go to **Aadhaar Auth Verification** page to complete the Face Authentication.

2. Capture Your Photograph

Instructions:

- Find a place with good light and plain background.
- Ensure the camera is at your eye level before capturing the photo.
- Position yourself directly in front of camera and **look straight**.
- Ensure that your **face is fully inside the red rectangular area** delineated by the camera and that it is neither too close nor too far. It should cover the area fully and no part of the face should be outside the rectangle.
- Candidates **shouldn't wear a cap, mask or glasses / spectacles** while capturing the photo.
- In no case should the candidate capture the photographs of his/her pre-existing photograph. All such Online Application Forms where the photographs of his/her pre-existing photograph is captured will be rejected.
- **Do not wear earphones or any device while capturing photo.**

Capture Live Photo

3. Upload Your Signature *

Instructions:

- **Please read the advisory to Candidates with respect to photo and signature and common causes of rejection.**
  Click here to read
- Allowed image size: 10 KB to 20 KB in JPEG / JPG format.
- Image dimensions: about 6.0 cm (width) X 2.0 cm (height) at a resolution of 300 DPI.
- Online Application Forms with blurred / miniature signature will be rejected.
- Signature should be horizontally aligned.

Upload Signature

Go Back | Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links

- Archives
- Disclaimer
- Sitemap
- Help
- Website Policies
- Web Information Manager

Contact Us

Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 250322731

Last updated on Nov 28, 2025

अनुबंध-III(1/4)

Instructions to Candidates for uploading of signatures

1) The major reasons for rejection of signatures are "miniature" signatures. Candidates are advised to cut the box and then sign within the box such that signature occupies at least 80% of the box.

Cut the box & Sign within the box

2) Samples of acceptable and rejected signatures are provided on the next page(Pg No 2). Candidates are advised to review these examples to understand which signatures will be accepted by the Commission and which ones may be rejected.

अनुबंध-III(2/4)

Signature

1. Good For Approval

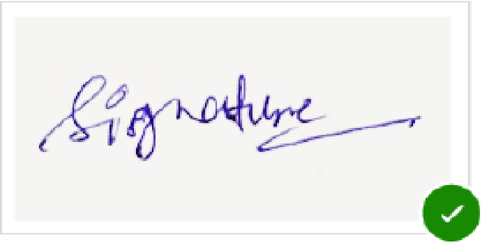

2. Rejected

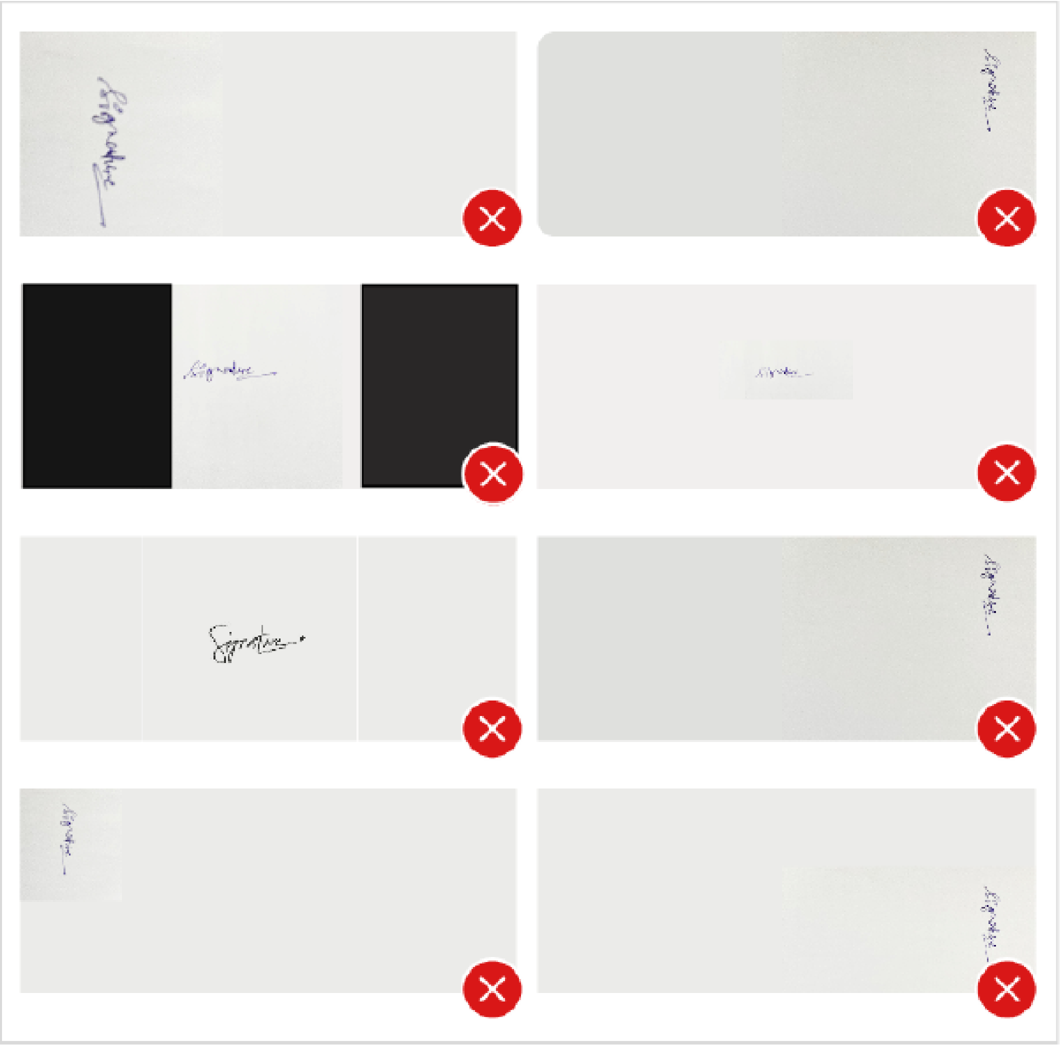

3) The major reasons for rejection photographs are :

(i) Photo without plain background.

(ii) Candidates wearing caps

(iii) Candidates taking photos without shirts.

(iv) Photo not sufficiently bright.

(v) Photo is blurred

Candidates are advised to follow the instructions while capturing the photo that is displayed on the Website especially ensure plain background and photo is captured in well-lit area.

4) Samples of acceptable and rejected photographs are provided on the next page (**Page No 4**). Candidates are advised to review these examples to understand which photographs will be accepted by the Commission and which ones may be rejected.

अनुबंध-III(4/4)

Photograph

1. Good For Approval

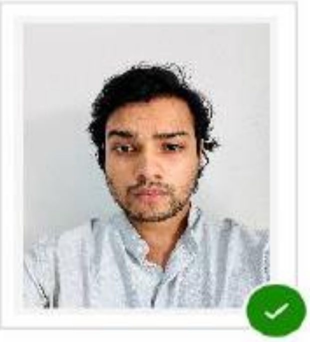

2. Rejected

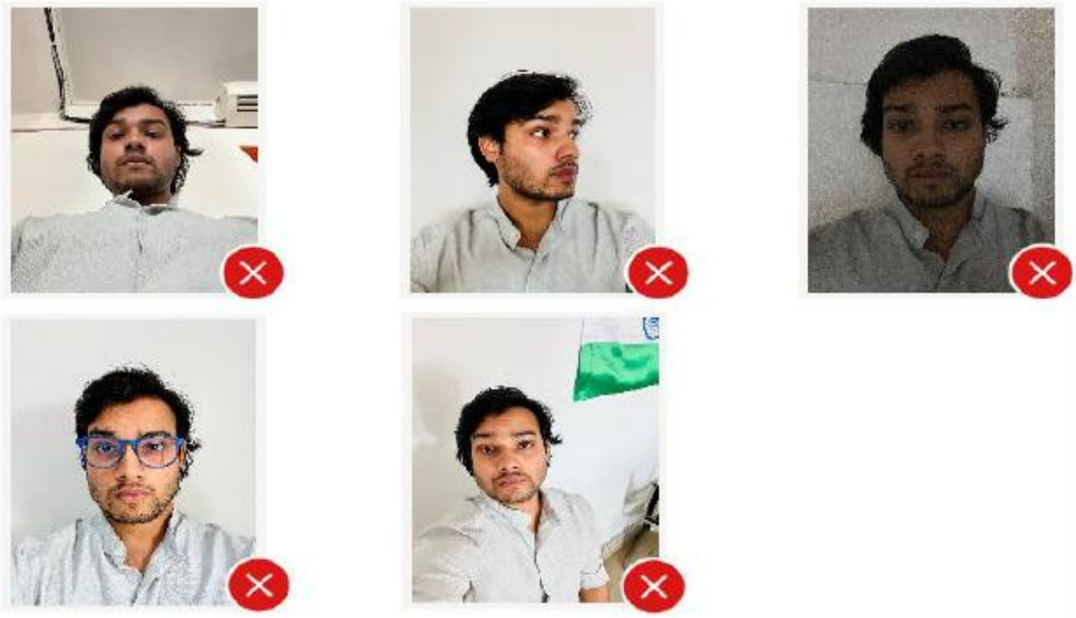

<u>अनुबंध-IV</u>

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार...(नंबर)...(रैंक).........................(नाम) ....(दिनांक) ....को सशस्त्र बलों में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

स्थानः (कमांडिंग अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांकः कार्यालय की मुहरः

अनुबंध -V

परिशिष्ट-V(क)

नियोजित कार्मिकों के लिए प्रमाण- पत्र प्रोफार्मा

यह सूचित किया जाता है कि …………………….. (यूनिट/कार्यालय) में…………….. (रैंक) के रूप में कार्यरत श्री/ श्रीमती/ कुमारी. …………….…... ने ………………….. (भर्ती एजेंसी का नाम) द्वारा विज्ञापन संख्या .... दिनांक………… ……… के अनुसार विज्ञापित ……………… के पद के लिए आवेदन किया है।

2. मैं एतद्द्वारा उपलब्ध जानकारी के आधार पर, श्री/ श्रीमती /कुमारी………………….. (नाम) संख्या………………. (रैंक) के संबंध में निम्नानुसार सत्यापन करता/करती हूं कि :-

i) वह ………… (दिनांक) को अन्य शर्तों के अधीन, भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त करने के लिए.............................. वर्ष(शब्दों में) की निर्धारित अवधि पूरी कर लेगा/लेगी। श्री/श्रीमती/कुमारी …………….. सैन्य सेवा छोड़ने के समय सेवा के …………….. वर्ष (शब्दों में) पूरा कर लेंगे/लेंगी।

ii) पदों पर चयन होने पर उन्हें सेवामुक्त कर दिया जाएगा।

कमांडिंग अधिकारी

(हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक: कार्यालय की मुहर

परिशिष्ट-V(ख)

भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत सिविल पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिए जाने वाले वचन-पत्र का प्रपत्र

मैं यह समझता/समझती हूं कि जिस भर्ती/परीक्षा से यह आवेदन संबंधित है, यदि उसके आधार पर मेरा चयन होता है, तो मेरी नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि हेतु मेरे द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी कि मुझे सशस्त्र बलों से विधिवत कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त/सेवामुक्त कर दिया गया है और यह कि मैं समय-समय पर संशोधित भूतपूर्व सैनिक (केंद्रीय सिविल और डाक सेवाओं में पुनर्नियोजन) नियमावली, 1979 के अनुसार पूर्व सैनिकों के लिए अनुमत लाभों का/की हकदार हूं।

2. मैं यह भी समझता/समझती हूं कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण संस्थान के दिनांक 14.8.2014 के का.ज्ञा. सं..36034/1/2014-स्था.(रेज.) के अनुसार, सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों और जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू है, उत्तरवर्ती नियोजन हेतु भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता/सकती हूं, यदि मैंने सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने के तत्काल बाद उन विभिन्न रिक्तियों, जिनके लिए मैंने प्रारंभिक सिविल नौकरी में कार्यभार ग्रहण करने से पहले आवेदन किया था, के आवेदनों के तिथि-वार विवरण से संबंधित नियोक्ता को मुझे करना चाहिए / वचन देना चाहिए।

स्थान:

दिनांक:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

अनुबंध- VI

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए पत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता(या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभयर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा न कि कोई अन्य प्रमाणित या सही प्रतिलिपि।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*... पुत्र/पुत्री...निवासी ग्राम/कस्बा* .... जिला/संभाग*.....................................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*.................................के .... जाति/जनजाति से संबधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त हैः-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950....................
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950............................
संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*...
संविधान (अनुसूचित जनजाति)संघ राज्य क्षेत्र आदेश,1951*..

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश,1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम,1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम,1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम,1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित।

संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956......................
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश,1959
संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962
संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश,1962@
संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश,1964@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश,1967@
संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968@

संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@
संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@
संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@
संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम,1990@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996

यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* ....के माता/पिता श्री/श्रीमती..निवासी ग्राम/कस्बा*.. ....जिला/संभाग*..राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*.. को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो ....जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो..दिनांक...द्वारा जारी .... राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।
%3 श्री/श्रीमती/कुमारी...और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा*.......................जिला/संभाग*...............................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र........................में रहता है।
हस्ताक्षर.......................................

**पदनाम...................................

स्थान..
दिनांक................................ (कार्यालय की मुहर सहित)

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।
@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।
जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणीः- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 में दिया है।

**जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची :-

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल अफसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

टिप्पणी :- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

<u>अनुबंध-VII</u>

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाल प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि... पुत्र/पुत्री .... ग्राम ....जिला/संभाग ....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के .... समुदाय से संबंघित हैं जो दिनांक------संकल्प सं.----------सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।

श्री/श्रीमती/कु०...तथा/या उनका परिवार सामान्यतः ....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के .... जिला/संभाग में रहता/रहते हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.36012/22/93-स्था. -(एससीटी), दिनांक 8.9.1993** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

जिलाधीश या ____

उपायुक्त आदि. ____

दिनांकः

मुहरः

---

*प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्यौरा का उल्लेख करना होगा जिसमें अभयर्थी की जाति का अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख है।

* समय समय पर यथा संशोधित

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त सामान्यतः शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 में दिया है।

अनुबंध- VIII

.... सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या   दिनांक __________________

वर्ष .... लिए मान्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी __________________________ पुत्र/पुत्री/पत्नी ______________ स्थायी निवासी ____________________ गाँव/गली _____________ डाकघर ____________________ जिला ____________________ राज्य / संघ राज्य-क्षेत्र ______________ पिन कोड __________ जिनकी फोटो नीचे सत्यापित की गयी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं क्योंकि वित्त वर्ष .... के लिए उनकी /उनके 'परिवार' ** की कुल वार्षिक आय* 8 लाख (केवल आठ लाख रुपये) से कम है।उनके/उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है :

I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;
II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी _________________________ का संबंध ______________ जाति से है जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर.................................

नाम ....

पदनाम...................................

अभ्यर्थी के हाल ही का पासपोर्ट आकार अनुप्रमाणित फोटोग्राफ

---

* टिप्पणी 1: सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि को शामिल करके कुल आय।

** टिप्पणी 2: इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहनके साथ-साथ उसका पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

*** टिप्पणी 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या अधिग्रहीत संपत्ति परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" की सभी संपत्ति को शामिल कर लिया गया है।

<u>अनुबंध-IX</u>

<u>लंबाई अथवा सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री --पुत्र श्री--- ग्राम-- तहसील/तालुका--जिला---राज्य के स्थायी निवासी हैं।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :

* गढ़वाली, कुमायूंनी, डोगरा, मराठा की श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित अभयर्थी।

* पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा, एवं दार्जिलिंग जिले के तीन जिलों नामतः दार्जिलिंग,कलिम्पोंग और कुरसियोंग सहित गोरखा प्रादेशिक प्रशासन(जीटीए) की श्रेणी में आने वाले इन जिलों में निम्नलिखित "मोजास" उप-मण्डल शामिल हैं:

  (1) लोहागढ़ चाय बागान (2) लोहागढ़ वन (3) रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पानीघाटा (6) छोटा आदलपुर (7) पहारू (8) सुकना वन (9) सुकना भाग-। (10) पंतापती वन-। (11) महानदी वन (12) चम्पासरी वन (13) सलवारी छाट भाग-॥ (14) सितोंग वन (15) सिवोक हिल वन (16) सिवोक वन (17) छोटा चेंगा (18) निपानिया

हस्ताक्षर
जिला मजिस्ट्रेट/उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

दिनांक :
स्थान :

* जो भी लागू नहीं हो उसे काट दें।

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के कोड

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**कोड**	**राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र**	**कोड**
अंडमान और निकोबार द्वीप समीह	01	लक्ष्यद्वीप	19
आंध्र प्रदेश	02	मध्यप्रदेश	20
अरूणाचल प्रदेश	03	महाराष्ट्र	21
असम	04	मणिपुर	22
बिहार	05	मेघालय	23
चंडीगढ़	06	मिजोरम	24
छत्तीसगढ़	07	नागालैंड	25
दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं द्वीव	08	ओडिशा	26
दिल्ली	10	पुडुचेरी	27
गोवा	11	पंजाब	28
गुजरात	12	राजस्थान	29
हरियाणा	13	सिक्किम	30
हिमाचल प्रदेश	14	तमिलनाडु	31
जम्मू एवं कश्मीर	15	तेलंगाना	32
झारखंड	16	त्रिपुरा	33
कर्नाटक	17	उत्तर प्रदेश	34
केरल	18	उत्तराखंड	35
लद्दाख	37	पश्चिम बंगाल	36

सीमावर्ती जिलों की सूची:-

क्रम संख्या	राज्य	सीमावर्ती जिलें
1.	असम	धुबरी
2.		कछार
3.		करीमगंज
4.		कोकराझार
5.		दक्षिण शालमारा मानकाचर
6.		चिरांग
7.		बाक्सा
8.		उदालगुड़ी
9.		तामुलपुर
10.	अरुणाचल प्रदेश	तिरप
11.		चांगलांग
12.		लोंगडिंग
13.		तवांग
14.		पश्चिम कामेंग
15.		पूर्वी कामेंग
16.		ऊपरी सोवनसिरि
17.		कुरूंग कुमें
18.		करा डाडी
19.		शि योमी
20.		सियांग

21.		ऊपरी सियांग
22.		निचली दिवांग घाटी
23.		दिवांग घाटी
24.		अंजॉ
25.	बिहार	पश्चिम चम्पारण
26.		पूर्वी चम्पारण
27.		सीतामढ़ी
28.		मधुबनी
29.		सुपौल
30.		अररिया
31.		किशनगंज
32.	गुजरात	कच्छ
33.		बनासकाण्ठा
34.		पाटन
35.	हिमाचल प्रदेश	लाहौल तथा स्पिति
36.		किन्नौर
37.	जम्मू एवं कश्मीर	कुपवाडा
38.		बारामूला
39.		बांदीपुर
40.		पुंछ
41.		राजौरी
42.		जम्मू
43.		कठुआ

44.		सांबा
45.	लद्दाख	लेह
46.		कारगिल
47.	मणिपुर	उखरूल
48.		चंडेल
49.		चुराचांदपुर
50.		कांमजोंग
51.		टेंगनोपॉल
52.	मेघालय	पश्चिम गारो हिल्स
53.		पश्चिम जयंतिया हिल्स
54.		पूर्वी खासी हिल्स
55.		पूर्वी जयंतिया हिल्स
56.		दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स
57.		दक्षिण गारो हिल्स
58.		दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स
59.	मिजोरम	चमपाई
60.		लवांगतलाई
61.		साईहा
62.		सरछिप
63.		ह्नाह्थिअल
64.		सैतुअल
65.		ममित
66.		लूंगलेइ

67.	नागालैंड	फेक
68.		किफायर
69.		मोन
70.		ट्वेनसांग
71.		नोकलाक
72.		शामतोर
73.	पंजाब	गुरदासपुर
74.		पठानकोट
75.		अमृतसर
76.		फिरोजपुर
77.		तरन-तारन
78.		फाजिल्का
79.	राजस्थान	श्री गंगा नगर
80.		बीकानेर
81.		जैसलमेर
82.		बाड़मेर
83.	सिक्किम	पैकयोंग
84.		सोरेंग
85.		ग्यालसियांग (पश्चिमी जिला)
86.		मंगन (पूर्वी सिक्किम)
87.		गंगटोक (उत्तरी सिक्किम)
88.		उत्तरी त्रिपुरा
89.		पश्चिम त्रिपुरा

90.	त्रिपुरा	दक्षिण त्रिपुरा
91.		ढलाई
92.		ऊनाकोटी
93.		खोवाई
94.		सेपाहीजाला
95.		गोमती
96.	पश्चिम बंगाल	दक्षिण 24 परगना
97.		उत्तर 24 परगना
98.		नादिया
99.		मुर्शिदाबाद
100.		मालदा
101.		दक्षिण दिनाजपुर
102.		उत्तर दिनाजपुर
103.		दार्जिलिंग
104.		जलपाईगुड़ी
105.		कूचबिहार
106.		अलीपुरद्वार
107.		कालिमपोंग
108.	उत्तराखंड	उत्तरकाशी
109.		चमौली
110.		पिथोरागढ़
111.		चम्पावत
112.		उधम सिंह नगर

113.	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत
114.		लखीमपुर खेरी
115.		बहराइच
116.		श्रावस्ती
117.		बलरामपुर
118.		सिद्धार्थनगर
119.		महाराजगंज

अनुबंध- XII

(उग्रवाद / नक्सल प्रभावित जिलों की सूची)

क्र. स.	राज्य	जिलों की संख्या	जिलों के नाम
1.	आंध्र प्रदेश	1	अल्लूरी सीतारामराजू
2.	छत्तीसगढ़	07	बीजापुर, दंतेवाडा, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, सुकमा
3.	झारखंड	02	लतेहार, पश्चिमी सिंघभूम
4.	मध्य प्रदेश	1	बालाघाट
5.	महाराष्ट्र	1	गढ़चिरोली
6.	ओडिशा	4	कालाहांडी, कंधमाल, मलकानगिरी, नुआपडा
7.	तेलंगाना	2	भद्राद्री-कोठागुडम, मुलुगु
	कुल योग	**18**	
8.	अरूणाचल प्रदेश	समस्त जिले	आतंकवाद प्रभावित
9.	असम	समस्त जिले	आतंकवाद प्रभावित
10	जम्मू और कश्मीर	समस्त जिले	आतंकवाद प्रभावित
11	लद्दाख	समस्त जिले	आतंकवाद प्रभावित
12	मणिपुर	समस्त जिले	आतंकवाद प्रभावित

13	मेघालय	समस्त जिले	आतंकवाद प्रभावित
14	मिजोरम	समस्त जिले	आतंकवाद प्रभावित
15	नागालैंड	समस्त जिले	आतंकवाद प्रभावित
16	त्रिपुरा	समस्त जिले	आतंकवाद प्रभावित
17	**कुल योग**	**9 राज्य/ संघ राज्य**	

अनुबंध- XIII

पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए जन्म/पहचान प्रमाणपत्र

सरपंच/नंबरदार/नायब तहसीलदार का कार्यालय...

फोटोग्राफ

जम्मू और कश्मीर/ लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों में निवास कर रहे पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी के लिए पहचान पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती .... सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री.. पूर्व में अविभाजित भारत (वर्तमान पाकिस्तान) के ....गांव..........................तहसील .... जिला के रहने वाले वर्तमान में मकान संख्या .... गली/लेन संख्या........................... मोहल्ला.............................. गांव..................................तहसील .... जिला .... में रह रहे है, जो 1947 के भारत पाक संघर्ष के दौरान पाकिस्तान से प्रवास करने के बाद पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थी हैं।

सरपंच/नम्बरदार/नायब तहसीलदार

अनुबंध- XIV

क्रम सं.	खेल का नाम
1.	तीरंदाजी
2.	दंगल
3.	बैडमिंटन
4.	बास्केटबॉल
5.	बॉडीबिल्डिंग
6.	मुक्केबाजी
7.	चढ़ाई
8.	क्रॉस कंट्री
9.	फुटबॉल
10.	ग्रीको
11.	जिम्नास्टिक
12.	हैंडबॉल
13.	हॉकी
14.	जूडो
15.	कबड्डी
16.	कराटे
17.	राफ्टिंग
18.	निशानेबाजी
19.	तैराकी
20.	टेबल टेनिस

21.	वॉलीबॉल
22.	जल क्रीड़ा
23.	भारोत्तोलन
24.	कुश्ती
25.	वुशु
26.	अन्य खेल

****समाप्त****